nt>
Title: Raised a discussion regarding floods in various parts of the Country.

MR. CHAIRMAN Now, Shri Mohan Singh and Shri Ram Nagina Mishra to raise a discussion regarding floods in various parts of the country. The time allotted is two hours.

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, मैं आज भारी मन से बाढ़ की विषम परिस्थिति के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं जिससे इस देश के करोड़ों लोग परेशान और तबाह हुए हैं। जब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं तो उस वक्त हमारे इलाके के लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त होकर अपने घर और परिवार को छोड़कर पेड़ों छतों और बांधों के ऊपर शरण लिये हुए हैं। हमको इस बात का अफसोस है कि हम हर मानसून सत्र में इस सदन में बाढ़ की विभीषिका के ऊपर चर्चा करने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार को सुझाव दिये जाते हैं, एक के बाद एक सरकारें आती और जाती हैं, बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए दूरगामी प्रस्ताव पास होते हैं, विशेषज्ञों की समिति नियुक्त होती है।

उसकी संस्तुति आती है और उस सारी संस्तुति के ऊपर गर्द जम जाती है। उसके स्थायी समाधान के लिए जिस तरह के संकल्प की सरकारों में आवश्यकता है, उस तरह का संकल्प हमको दिखाई नहीं देता। हर साल हम इस बात से परेशान हैं कि आने वाले दस वर्षों में हमारे देश में पीने के पानी का सर्वथा अभाव हो जाएगा। आज प्रातःकाल प्रश्न काल के दौरान, भूगर्भीय जलस्तर निरंतर नीचे जा रहा है, इस पर सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन के सत्र के शुरुआत में ही घोषणा की थी कि दुनिया में अब किसी तीसरी चीज को लेकर कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला है लेकिन संभवतः दुनिया के पैमाने पर अगली शताब्दी आने के बाद तीसरा विश्व युद्ध पानी के प्रश्न को लेकर होगा। हमारे देश का सौभाग्य है कि हम ऐसे जल स्रोतों से घिरे हुए हैं जो बहुत बड़ी आबादी के पेयजल के संकट को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, हमारे देश की सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम उनका नियोजन इस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं कि उन जल स्रोतों के जरिए जिस तरह की जल विद्युत का उत्पादन, जल का नियमन, सिंचन में उसका प्रयोग और पेयजल के लिए उसका इस्तेमाल हो, इन सारी चीजों में हम पिछड़ रहे हैं और हर साल वह सारा जल विभीषिका के रूप में हमारे देश के सामने आता है जिसमें करोड़ों की आबादी तबाह, बर्बाद और परेशान होती है और हम इस सदन में उसकी चर्चा करके, परेशान लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करके, मौखिक संवेदना प्रकट करके अपने कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर सभी दलों में एक आम सहमति बने और कम से कम जल संकट के निवारण, बाढ़ की विभिषिका के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए एक ऐसी शाश्वत राष्ट्रीय नीति बने जिस पर अपने सारे राष्ट्रीय संसाधनों को लगाकर हम उसे एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा कर सकें तो मैं समझता हूं कि आज की इस बहस को हम चरितार्थ और सही साबित कर सकेंगे। शासन से, माननीय मंत्री जी, सरकार और इस सदन से मेरी ऐसी मेरी अपेक्षा है।

उसके साथ हम कहना चाहते हैं कि संभवतः यह पहला वर्ष है जब हमारे इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के इलाके में समय से पहले बाढ़ आ गई, जिसके लिए सरकारें तैयार नहीं थीं, सरकार की मशीनरी तैयार नहीं थी। आसाम से लेकर केरल तक सम्पूर्ण भारत की आबादी, हरियाणा से लेकर बिहार तक उत्तर भारत की आबादी बाढ़ की विभिषिका से आज पूरी तरह तबाह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो १४ जुलाई तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार बाढ़ की विभीषिका से जल भराव के चलते वहां ७२ लाख हैक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हुई। उत्तर प्रदेश सरकार विधान सभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जुलाई के प्रथम हफ्ते में जो बाढ़ आई, उसमें करीब साढ़े सात सौ गांव घिर गए। उत्तर प्रदेश के अपने आंकड़ों के अनुसार लगभग साढ़े आठ लाख आबादी बाढ़ की इस विभीषिका के चलते तबाही के दौर में प्रवेश कर गई। मैं निजी अनुभव से कह सकता हूं, १७-१८ तारीख को मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में था, उसके चार दिन पहले ही बांधों की मरम्मत न होने की वजह से नारायणी नदी के ऊपर जो पिपरासी बांध है, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें मिलकर पहले से मर्यादित करती हैं, उसकी ठीक से सुरक्षा न होने के कारण सरकार के अनुसार ९० मीटर लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार ५०० मीटर भाग टूट गया, बह गया। उसके चलते सैंकड़ों गांव बहने की स्थिति में हो गए और वहां खाने और पेयजल की बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। उसी तरह रुद्रपुर के क्षेत्र में जो तियारा मराठी बांध था, उसमें २० तारीख को ब्रीच हुआ और वह करीब ५०० मीटर तक टूट गया जिसके चलते करीब ५५ गांव बाढ़ क्षेत्र में आ गए और सारे गांवों में तबाही हुई। उसी तरह कुशी नगर जिले में पिपरा बांध, जो बिहार से मिला हुआ है, में ब्रीच आ गया और उसके करीब ५० मीटर टूट जाने से वहां के करीब ५० गांव तबाही के दौर में हो गए।

आजमगढ़, प्रतापगढ़, पडरौना, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, ये सारे करीब नौ जिले उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार बाढ़ की विभीषिका से आज की तारीख में त्रस्त हैं। लेकिन यह तो शुरूआत है, यह अंत नहीं है। जिस तरह की तैयारी पहले से होनी चाहिए थी, बंधों के रखरखाव की, पानी के नियमन की, जून महीने में, मई महीने में जो तैयारी होनी चाहिए थी, वह तैयारी प्रशासन की नहीं थी। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस समय बाढ़ से लोग तबाह थे, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी जिले में मौजूद नहीं थे। सब अपनी जुगत में, जुगाड़ में प्रदेश की राजधानी में मौजूद थे, कोई तबादले के लिए, कोई अच्छी पोस्टिंग के लिए और कोई किसी अन्य कारण से। उन सारे जिलों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वे जिले में मौजूद नहीं थे।

मुझे यह भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कोई एक हफ्ते से अधिक हो गया, बाढ़ के अन्दर धंसे हुए गांवों को गोरखपुर के अन्दर, कुशीनगर के अन्दर, कबीरनगर जिले के अन्दर, सिद्धार्थनगर जिले के अन्दर, देवरिया जिले के अन्दर न तो लंगर चला, न लोगों के खाने-पीने का इन्तजाम किया गया, न खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए शासन की ओर से कोई राशन मुहैया करने की व्यवस्था की गई। ऊपर से जो सरकार की वसूलयाबी है, उसे भी स्थगित करने की जो एक सामान्य बात है, बाढ़ आने के साथ ही सरकारें जितनी तरह की किसानों की वसूली होती है, उसके स्थगन की एक मामूली घोषणा होती है, उस घोषणा को भी सरकार ने नहीं किया। सरकार के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, मुख्य मंत्री स्तर के लोग थे, उन्होंने बाढ़ को केवल ऊपर से आसमान से देखा और उनकी लिप सिम्पैथी, जिसको हम मौखिक सहानुभूति कहते हैं, उन लोगों के साथ होकर अखबारबाजी तक और राजधानी में आकर विधान सभा में अपने वक्तव्यों तक उन सारी चीजों को उन्होंने सीमित रखा। क्या कार्रवाई प्रदेश की सरकार कर रही है, जो जिम्मेदारी मुख्यतः प्रदेश सरकार की है? उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में प्रदेश सरकार विफल रही है, यह मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं।

जब प्रदेश सरकार विफल हो जाये तो जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। भारत सरकार ने क्या सहायता की? इस सदन के भीतर हम लोगों ने तीन बार पिछले हफ्ते में इस सवाल को उठाया। पिछले साल हिन्दुस्तान की सरकार ने जब आन्ध्र प्रदेश के अन्दर भीषण तूफान आया, इसी साल जब गुजरात और

राजस्थान में पिछले महीने के अन्तिम पखवाड़े में भीषण तूफान आया था, तबाही हुई थी, तब भारत सरकार ने अपने दायित्व को समझते हुए यहां से अधिकारियों की टीम भेजी और जो भी तात्कालिक सहायता राहत कार्य के लिए सम्भव थी, भारत सरकार ने उनको मुहैया की। लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में टीम भेजकर उसका सही आकलन सही समय से करके जो तबाह लोग हैं, जो जन-जीवन तबाह है, उसकी तमाम जिस तरह की सुविधा और राहत कार्य के लिए इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, भारत सरकार भी अपने उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है। मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूं, आलोचना करना चाहता हूं।

16.23 hrs. (Shri P.M. ayeed in the Chair)

मुझे इस बात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकी राज्यों को, जब ओले का सवाल आया तो इसी सदन में हम लोगों ने उस सवाल को उठाया। मिदनापुर में भयंकर तूफान आया था और मिदनापुर के साथ उत्तर प्रदेश में आलोवृष्टि के कारण, चक्रवात के कारण तीन-तीन बार भयंकर तबाही उत्तर प्रदेश की जनता की हुई थी। उस प्रकरण को हमने इस सदन के भीतर उठाया था। दूसरे राज्यों की सहायता के नाम पर भारत सरकार ने सुविधा भेज दी, लेकिन चक्र वात और ओलावृष्टि से पीड़ित उत्तर प्रदेश की जो लाखों-लाख जनता थी, उसकी सुविधा के लिए भारत सरकार ने कोई सहूलियत नहीं भेजी। मैं इस बात को अ फसोस के साथ कहना चाहता हूं और भारत सरकार की वह संवेदनशीलता जो ओलावृष्टि के समय और चक्रवात के समय थी, बाढ़ के मौके पर भी उसी तरह की संवेदनहीनता का परिचय अभी तक भारत सरकार ने दिया है, इस बात को मैं इस सदन के भीतर कहना चाहता हूं।

मैं आपकी आज्ञा से, क्योंकि भारत सरकार राहत कार्य करती है, अपनी तरफ से मदद करती है, लेकिन कब करती है? बाढ़ बिहार में पिछले साल अगस्त महीने में, सितम्बर महीने में आती है और भारत सरकार सहायता कब भेजती है, जनवरी और फरवरी, १९९८ में। भारत सरकार का काम करने का यदि यही तरीका रहेगा तो राज्य की सरकारें अपने संसाधनों से गरीब जनता की कोई मदद नहीं कर सकतीं।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी द्वारा राज्य सभा में दिए गए एक वक्तव्य को मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। ९ जुलाई १९९८ को एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल १९९७ के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से अलग-अलग ढंग से पीड़ित हुए। इन सभी राज्य सरकारों ने भारत सरकार से अपनी जनता की मदद के लिए कुछ चीजें और पैसे की सहायता की मांग की। मंत्री जी साफ तौर पर जवाब देते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने १६८ करोड़ रुपये मांगे, बिहार की सरकार ने ४२८ करोड़ रुपये मांगे। उसके एवज में इन्होंने बिहार सरकार को सिर्फ दस करोड़ रुपये की सहायता दी। वह भी कब दी, १४.१.१९९८ को दी। हम इस बात की आलोचना करते हैं। बिहार में जो पिपरासी बांध टूटा, उससे बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो गई। बिहार सरकार कहती है कि उसकी हिफाजत के लिए उसने केन्द्र से ४२८ करोड़ रुपये सितम्बर के महीने में मांगे थे और केन्द्र सरकार ने उसके एवज में छः महीने के बाद केवल दस करोड़ रुपये भेज दिए। इसी तरह अन्य राज्यों के बारे में भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने २४२ करोड़ और ३२३ करोड़ रुपये की दो बार सहायता मांगी। किंतु उसे कितनी राशि दी गई, उसका कोई आंकड़ा इनके उत्तर में नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अभी अपना वित्त आयोग नियुक्त किया है। माननीय वित्त मंत्री जी के अनुसार इस वित्त आयोग की जो टर्मस आफ रेफरेंस हैं, आज तक किसी वित्त आयोग की टर्मस आफ रेफरेंस उतनी अच्छी नहीं रही। इसलिए कि सबसे प्रगतिशील टर्मस आफ रेफरेंस इस बार के वित्त आयोग की हैं। मुझे अफसोस है कि पानी, वर्षा और बाढ़ की समस्या जिसके चलते हमारा देश तबाह हो रहा है, आने वाली शताब्दी में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, उसका इन टर्मस आफ रेफरेंस में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उद्धरण नहीं है। मेरा आग्रह है कि इस वित्त आयोग की टर्मस आफ रेफरेंस में वृद्धि की जाए और पानी की समस्या के समाधान को भी इसमें महत्व दिया जाए।

मैं मंत्री जी को कुछ दूरगामी सुझाव इस बार की बाढ़ से हुई विभीषिका और उससे उत्पन्न हुई तबाही के निवारण के लिए देना चाहता हूं। इसी सदन में मंत्री जी ने एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की जितनी नदियां हैं, हिमालय क्षेत्र की नदियां, विंध्य क्षेत्र की नदियां और समुद्र क्षेत्र की नदियां, इनको थ्री टियर बनाकर तीनों के चल को भूभाग में रहने दिया जाए, समुद्र में जाने से रोका जाए। इसके बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है और सदन में आपने उत्तर दिया था जिसके लिए करोड़ों नहीं अरबों-खरबों रुपये की आवश्यकता भारत सरकार को है। भारत सरकार यह पैसा कहां से लाए, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन हम उस कार्यक्रम को, उस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए बिना इस काम को नहीं कर सकते और बाढ़ की समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाल सकते। भारत की जितनी नदियां हैं, इनके बहाव को सीधा किया जाए, क्योंकि वे टेढ़ी-मेढ़ी चलकर लाखों हेक्टेयर जमीन को काटकर उसको बर्बाद करती है। उनका कैचमेंट एरिया बढ़ता जा रहा है और हमारी फसल बर्बाद होती है। कैचमेंट एरिया के बढ़ने से जितनी हमारे देश की कृषि योग्य और रिहाइश योग्य भूमि है, वह बर्बाद हो रही है। इसलिए नदियों को सीधा किया जाए। सीधा करने के साथ-साथ उनको गहरा भी किया जाए। उसी के साथ-साथ एक बड़ी पुरानी योजना जलकुंडी की है। नदियों के जल को रोक कर, तालाब बनाकर बाढ़ से बचा जा सकता है। उसके बाद उस पानी का सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया जाए। जितनी नदियां हिमालय से उत्तर प्रदेश में गिरती हैं, वे भूमि पर उत्तर प्रदेश में आती हैं।

श्इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार ने बार-बार भारत सरकार पर इस बात का दवाब डाला कि नेपाल की ओर से आने वाली जो नदियां हैं, उन पर करनाली, पंचेश वर और बालूबांध बनाकर हम पनबिजली पैदा करके विद्युत की समस्या का समाधान कर सकते हैं और बाढ़ की समस्या का निवारण कर सकते हैं तथा सिंचन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को चला सकते हैं। इस बारे में भारत सरकार ने नेपाल सरकार से अनेक बार बात की है और तीन बार १९९५, १९९६ और १९९७ - भारत और नेपाल के बीच में संधि हुई और इन नदियों को कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रयास हुए। लेकिन भारत सरकार उन पर अमल नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि करनाली, पंचेश्वर और बालूबांध की योजना को भारत सरकार पूरा करे।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक प्रमुख समस्या, जो असम राज्य से संबंधित है, की और ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के लोग कहते हैं कि ब्रहमपुत्र नदी वहां के लोगों के लिए अमृत भी है और अभिशाप भी है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इस नदी के द्वारा हमारे देश के ऊपर संकट आने वाला है। हमारा पड़ोसी देश आणविक प्रयोग के कारण उस नदी की जलधारा को बदल कर चीन के रेगिस्तानी इलाके में ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह खबर मैंने अखबारों

में पढ़ी है। इस बारे में टीवी पर एक स्पेशल आइटम के द्वारा दिखलाया भी गया है। इसमें कहां तक सच्चाई है या कहां तक यह बात गलत है - इस बारे में भारत सरकार सावधान रहे। मैं कहना चाहता हूं कि हिमालय से जो आने वाली नदिया हैं, उनको नियमित करने की योजना भारत सरकार बनाए ... (व्यवधान) इसी के साथ टेहरी परियोजना के पूर्ण होने की आशा पिछले तीस सालों से इस क्षेत्र के लोग लगाए हुए हैं। इस क्षेत्र में बिजली की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद समस्या हल होगी, यह आशा वहां के लोग १९७४ से लगाए हुए हैं। हर साल इसी सदन में यही सवाल खड़ा होता है और भारत सरकार कहती है कि हम इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे, लेकिन कुछ बातों को लेकर इसमें परेशानियां पैदा होती रहती हैं और समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। सच्चाई यह है कि नेपाल से और हिमालय से आने वाली नदियों पर छोटे-छोटे झरने और छोटे-छोटे जल स्रोत बनाकर, जल का दोहन करके हम पनबिजली का निर्माण कर सकते हैं और वहां के क्षेत्रों को हरा-भरा कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए पहल करे। बंधा निर्माण करने से बाढ़ की समस्या हल नहीं हो सकती है। नदियों के पेट को गहरा करके बाढ़ की समस्या का एक हल हो सकता है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गायदास एक गांव है, जो पिछले बीस वर्षों से मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं, जब मैं विधान सभा का सदस्य था, तब मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी था। जब मैं १९७७ में पहली बार विधान सभा का सदस्य बना, तब से लेकर आज तक जबकि मैं पार्लियामेंट का मैम्बर हूं, इस एक गांव की हिफाजत के लिए २० लाख रुपए झगड़ा करके बार-बार प्रदेश सरकार से दिलवाता रहा। लेकिन अभी जब मैं उस गांव में गया, तो वह पूरा का पूरा गांव नदी की धारा में विलीन हो गया है। उस गांव का अस्तित्व आज की तारीख में समाप्त हो गया है। उस एक गांव की हिफाजत हम २० लाख रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाए हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि आज जो बंधा बनाने की योजनायें हैं या बोल्डर गिराकर गांवों के हिफाजत करने की योजना है, ये सारी योजनायें नाकाफी हैं, अवैज्ञानिक हैं, बेमतलब हैं और पैसे की बरबादी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी योजनायें बनायी जानी चाहिए और यही इसका स्थायी समाधान हो सकता है। क्षणिक समाधान से इस गम्भीर और स्थायी समस्या का मुकाबला नहीं किया जा सकता ।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बहस की शुरूआत करते हुए, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

">

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय सभापति महोदय, आपने बाढ़ पर सदन में बहस करने की इजाजत दी, इससे कम से कम लाखों-करोड़ों बाढ़ के पानी में डूबे हुए किसानों की आह को सदन में कहने का अवसर मिला है। अभी मोहन सिंह जी ने जो बातें कहीं हैं मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। यह सही है कि आए-दिन हर साल बाढ़ पर बहस होती है लेकिन इससे समस्या का कुछ भी समाधान नहीं होता है। आज हालत बड़ी नाजुक है। यह कहने में हमें भी संकोच नहीं है कि १३ तारीख को बाढ़ की विभीषिका आई और १४ तारीख को हम लोग सदन में दो-तीन दिन तक शोरगुल करते रहे। हमने यह भी सुना कि मंत्री जी बयान देंगे लेकिन आज तक उनका बयान नहीं आ सका।

महोदय, मेरे पास अखबारों की कुछ कटिंग्स हैं। नेपाल ने गंडक नदी में काफी पानी छोड़ दिया, जिससे काफी तेज बाढ़ आ गई है। कुशीनगर में पिपरासी बंधा टूट गया है इस कारण वहां बहुत लोग पानी में डूबे हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों लोग पानी में डूबे हुए हैं। सारी अखबारों की कटिंग्स मेरे पास हैं। यह सही है कि सारे देश में बाढ़ आई है और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सैंकड़ों लोग मारे गए हैं। सबसे भयंकर स्थिति गोरखपुर मंडल की है। आप वहां अगर हवाई जहाज से सर्वे करें तो मालूम होगा कि गोरखपुर एक समुद्र सा बना हुआ है, वहां बहुत सारा जल जमा हुआ है। सैंकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। सत्ता पक्ष का होते हुए भी मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अगर बांध की मरम्मत का काम पहले हुआ होता तो यह हालत न होती। जहां तक हमारे यहां पिपरासी बांध टूटने का सवाल है, गतवर्ष भी वह बांध टूट रहा था, मैंने मंत्री जी को ले जाकर दिखाया। दुर्भाग्य है कि वह ५१ किलोमीटर बंधा है, जिसमें दस किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश का है और ४० किलोमीटर बिहार का है। जो बंधा टूटा है वह बिहार के हिस्से में आता है। गतवर्ष भी हम लोग गए थे, बिहार सरकार के लोग भी आए थे लेकिन उसकी रिपेयर नहीं हुई। १३ तारीख के पहले आगाह किया गया था कि बांध में दरार पड़ गई है। हम मौके पर खुद गए थे। बिहार की एक अच्छी महिला आफिसर ने योगदान दिया लेकिन नीचे के अधिकारियों की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बंधा टूटा हुआ है, पानी की धार बह रही है लेकिन वहां बिहार के केवल २३ मजदूर थे। जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि गतवर्ष की मजदूरी नहीं दी गई इसलिए वे नहीं आ रहे हैं। मैडम से कहा गया, वहां जो इंजीनियर्स थे वे मजदूरों को पर्चे दे रहे थे कि जनवरी में मजदूरी ले लेना। मानव की गलती की वजह से आज लाखों लोग पानी में डूबे हुए सफर कर रहे हैं। यह असाधारण भयंकर बाढ़ है। इसके पहले भी बहुत बाढ़ आई थी, अन्य जगह जो बाढ़ आई है वहां भी कुछ बंधे टूटे हैं, कहीं पानी के जमाव से बाढ़ आई है किन्तु कुशीनगर में पिपरासी बंधा टूटने की वजह से यहां बाढ़ आई है। मैं पहले के आंकड़े दे रहा हूं, इस समय क्या हालत है यह कहना मुश्किल है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार १८-७-९८ को चार बजे पानी का डिस्चार्च एक लाख ८६ हजार क्यूसेक था, जो दिनांक १९-७-९८ को आठ बजे बढ़ कर दो लाख १२ हजार कयूसेक हो गया और दिनांक १९-७-९८ को चार बजे दो लाख ३० हजार ५०० हो गया, यानी १७,३०० क्यूसेक पानी की वृद्धि हो गई। इससे जलस्तर छः ईंच बढ़ गया, ७६ हजार आबादी में गांव पानी में डूब गए और ४० हजार लोग पानी में निवास कर रहे हैं।

अभी तीन-चार दिन पहले की सरकारी रिपोर्ट के बारे में मैं यह कह रहा हूं, अपनी रिपोर्ट की बात नहीं कह रहा हूं। हालांकि सरकारी रिपोर्ट बड़ी नपी-तुली होती है। वहां की हालत बड़ी दयनीय है, हजारों लोग पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर भी पानी है और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं भी वहां गया था, लोगों ने मुझे घेर लिया कि बांध तो मानव बचा नहीं सकता है, प्रकृति का यह प्रकोप है लेकिन हमारी जान तो बचा दो। वहां पर चीवड़ा और चना के लिए लगता है कि लोग जान दे देंगे। सारी फसल, गल्ला और लोग वहां डूबे हुए हैं। बांसी में मैंने खुद देखा कि वहां गांव डूबे हुए हैं और सांप लोगों पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ एस.पी. भी थे। लोगों को वहां खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है और लोग खाना और पानी के लिए तरस रहे हैं। सारे स्कूलों को खाली करा लिया गया है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, खाना बनाने के लिए साधन नहीं हैं। वहां की कल्पना करते ही रूह सिहर उठती है।

वहां सेना बुलाई गयी है। सेना के जवानों की मैं प्रशंसा करता हूं। सेना के जवान वहां न होते तो न जाने कितने लोगों की जानें वहां गयी होतीं। वहां बिहार सरकार ने भी सेना भेजी है, हमारे यहां से भी सेना गयी है। पी.ए.सी. के जवान लोगों को लाकर बांध पर रख देते हैं लेकिन वहां पर खाने का सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसका कारण क्या है यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि हमारे यहां जब बाढ़ आती है तो कुछ लोगों के घरों में खुशी होती है कि उनके घरों में लाखों रुपया आ जाएगा, इसलिए उनको बाढ़ आने पर कोई हर्ज नहीं होता। अगर हिसाब जोड़ा जाए तो इस पर अरबों-खरबों रुपया खर्च हुआ है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री और अधिकारी भी थे। हमने वहां सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पूछा कि अगर पहले इस पर काम किया होता तो कितना खर्च आ जाता। उन्होंने कहा कि पांच लाख में काम चल जाता। अ

ब २६ लाख में बहुत छोटा सा रिंग बनाया जा रहा है और वह भी बन नहीं पाया है। यह केवल विभागीय लापरवाही का नमूना है। हमारी बिहार सरकार भी गजब की है। आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहां तक उत्तर प्रदेश है और उसके बाद बिहार है। कुल ५१ किलोमीटर में से ४० किलोमीटर बिहार के जिम्मे है। संयोग से वह बिहार और यू.पी. का बार्डर है। प्रकृति की बनावट ऐसी है कि जो नारायणी नदी है उसके काफी फुट नीचे बांसी नदी है और ठीक वहीं पर यह बांध कटा है और सीधे धार दक्षिण को गयी है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि दोनों सरकारों का यह संयुक्त मामला है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए या तो इस बांध को भारत सरकार अपने विभाग के अन्तर्गत ले ले या जो गंगा फ्लड बोर्ड बना हुआ है इसको उसके अंदर दे। अगर इन दोनों में यह नहीं आता है तो वहां को लोग कभी जी नहीं सकेंगे, हमेशा बाढ़ से तबाह होते रहेंगे। इसलिए सरकार को इस पर विशेष गौर करना होगा। अगर यह नहीं हो सकता तो बांध को उत्तर प्रदेश को सारे फंड सहित ट्रांसफर कर दें जिससे वह बांध तो मजबूत बन जाए। यह एक साल का मसला नहीं है यह हर साल का मसला है। इस मसले को या तो केन्द्रीय जल आयोग संभाल ले या गंगा फ्लड बोर्ड संभाल ले, तो इस बांध की हिफाजत हो सकती है। आये दिन जो नारायणी नदी की धार दक्षिण की ओर मुड़ रही है और मुड़ ही गयी है, मैं तो कहता हूं कि जब मानव बांध को बचा नहीं सकता है तो जो लाखों लोग पानी में डूबे हुए हैं उनकी जान तो बचाई जाए।

वे मरने न पाएं। अफसोस की बात यह है कि मैं खुद काश्तकार हैं। मैंने गोरखपुर, बनारस हर जगह टेलीफोन किया तो मुझे लोगों ने कहा कि हमें नाव चाहिए, खाना चाहिए लेकिन उन्हें ये सब नहीं मिल रहा है। औरतें और मासूम बच्चे पानी में से कैसे बाहर आएं? वे बिलख रहे हैं और इधर-उधर भटक रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा जो लोग पानी में फंसे हैं, उनको पानी से बाहर निकाल कर ऊंची जगह में लाया जाए, आपका बहुत बड़ा भला होगा। हमें अभी सूचना मिली है कि नेपाल ने भी पानी छोड़ दिया है। उससे और घर प्रभावित हुए हैं। कम से कम भारत सरकार को नेपाल से बात करनी चाहिए। ऐसे समय में इतना पानी छोड़ देना कुशीनगर और उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगा। जिन का गल्ला पानी में डूब गया, उनके पास कोई साधन नहीं, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। वे कम से कम जीवन निर्वाह करने के लिए खिचड़ी बना कर खा लें, इसके लिए मिट्टी का तेल और स्टोव मुहैय्या कराएं। इससे उन लोगों की जीवन रक्षा हो जाएगी।

मान्यवर, सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि एक तरफ भगवान कुपित होकर लोगों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे मित्र कहेंगे कि मैं केवल गन्ने के लिए चिल्लाता है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कठकुइंयां, पडरौना के १८ करोड़ रुपए बकाया हैं। यह वह इलाका है जहां बाढ़ आई है। हमें वहां के लोगों ने घेर लिया और कहने लगे कि हमें गन्ने का दाम दिलवा देते तो हम जीवित रह पाते। हम किस के दरबार में फरियाद करें? किसानों ने कौन सा गुनाह किया है? भगवान बाढ़ से लोगों को पानी में डुबो रहा है। वहां के लोगों की खून पसीने की १८०० करोड़ रुपए की राशि एक जगह बाकी है। आप कल्पना कीजिए उनकी क्या दशा होगी? इसका कौन प्रबन्ध करेगा? उनका कौन माई-बाप है? हम किस के दरबार में रोना रोएं? क्या इससे भी बड़ी कोई अदालत होगी? मैं इस तरफ सारे सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

मान्यवर, दूसरे लोग तो हवाई जहाज से इसकी दशा देख रहे हैं लेकिन हमने वहां खुद जाकर देखा है। हम गांव-गांव गए हैं। अगर हम विपत्ति के समय उनके साथ नहीं होते तो लोग हमें पानी में फेंक देते। लोग सोचते हैं कि बाबा क्या करे? वह तो हाथ-पैर जोड़ रहा है। सही बात यह है कि मिल मालिक वाले मजदूरी नहीं दे रहे हैं और न किसानों को अपनी उपज के उचित दाम मिल रहे हैं। मैं भारत सरकार और केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कानून तो होगा। हमने १८ करोड़ रुपए का वहां सामान दिया लेकिन हम दो साल से भूखे मर रहे हैं। हम बाढ़ में डूबे हैं, हमारा रुपया बाकी है, एक किलो चना मिलता है, इससे क्या होगा? हमने १५०० रुपए प्रति परिवार देने की बात कही। हमने उसे बंटवाना शुरु किया। शासन की तरफ से प्रयास तो हुआ लेकिन वही बात कि आग लगने पर कुंआ खोदने से क्या होगा। इस मामले की जांच होनी चाहिए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती, चाहे बिहार के हों, या उत्तर प्रदेश के हों, जिन की गलती से लाखों-लाख लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को भी यातना मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में वे गलतियां न कर सकें।

वहां सबसे कठिन समस्या नाव और रहने की है। जो इलाका पानी में डूबा है, वहां कोई ऊंची जगह नहीं है। केवल एक छोटी जगह है लेकिन रहने की कोई जगह नहीं है। बारिश में लोग भीग रहे हैं। कम से कम जो बाढ़ में डूबे लोग हैं,

उनको सुरक्षित स्थान पर लाया जाये और बरसात से बचाने के लिये टैंट लगवा दिये जायें जोकि अभी तक नहीं लगे हैं। यह बात सही है कि बाढ़ पीडितों की सहायता के लिये एक करोड़ रुपया दिया गया है लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। उन लोगों के घर बर्बाद हो गये हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान को केवल १५० रुपया देने से क्या काम होगा? अभी श्री मोहन सिंह जी ने भी यही कहा और मैं भी मधुर शब्दों में कह रहा हूं। जब कहीं बाढ़ आती है और विपत्ति पड़ती है तो सरकार सहायता करती है लेकिन पूर्वांचल में बाढ़ से डूबे लोग कराह रहे हैं। मैं एक हफ्ते से इस सदन में गुहार कर रहा हूं। जब मंत्रीगण बाढ़ का दृश्य देखने जाते हैं तो अधिकारियों में सक्रियता बढ़ जाती है। क्या मंत्री जी किसानों पर दया करके तुरंत भारत सरकार से सहायता दिलवायेंगे? भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, क्या इसके लिए कोई प्रबंध करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यह है और आपको यह जानकार आश्चर्य होगा, हमारे बिहार के भाई नाराज न हों.....

सभापति महोदय : आपको समाप्त करना है, आपने १७ मिनट ले लिये हैं, अभी बहुत से लोगों ने पार्टीसिपेट करना है।

श्री राम नगीना मिश्र वहां बहुत सारे लोग डूबकर मर रहे हैं, क्या हम यह भी नहीं बता सकते हैं। हमें दो मिनट का समय और दीजिए। हम वहां के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा विपत्ति हमारे ऊपर है...

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह आपके जिले के हैं, उन्होंने बीस मिनट लिये हैं, आपने भी १७ मिनट ले लिये हैं। मैंने आपको इशारा किया था, अब आपको समाप्त करना है। अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं। इसके लिए हमने दो घंटे का समय रखा है।

श्री राम नगीना मिश्रः मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके आदेश का पालन करते हुए टू द प्वाइंट तीन-चार बातें फिर दोहराना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पानी में डूबे हुए लाखों लोगों को बचाने के लिए अविलम्ब नावों की व्यवस्था की जाए, यह व्यवस्था चाहे राज्य सरकार करे या केन्द्र सरकार करे। पानी में डूबे हुए लोगों को खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल और स्टोव दिये जाएं। लोगो का सारा गल्ला डूब गया है, उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाए। जो लोग पानी में डूबे हैं, उनको वहां से निकालने की व्यवस्था की जाए तथा स्कूल और कालेज खाली कराकर वहां टैंटों की व्यवस्था की जाए। वहां बीमारी फैल गई है, पशुओं को

रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए जगह की व्यवस्था की जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार के बगल के लोग हमारे यहां से हैंड पम्प पाइप्स चुराकर ले जाते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है। यह सही है कि पुलिस से भी कहा गया कि हमें बचा लो। लोग मजबूर होकर नदी का पानी पी रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस विपत्ति में....

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, इन्होंने बिहार की बात की है... सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आपको पार्टीसिपेट करने का मौका दिया जायेगा, तब आप इसका जवाब दे सकते हैं। वे अभी खत्म करने वाले हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह सभापति महोदय, इन्होंने बिहार के लोगों के बारे में कहा है। मैं इनको बता देना चाहता हूं, यह हमारे बार्डर के माननीय सदस्य हैं कि हमारे यहां के लोग रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अपराधी इस बाढ़ के समय में भी हमारे यहां आकर चोरी करके भाग जाते हैं..

सभापति महोदय : आपने यहां भी बार्डर का डिस्प्यूट बना दिया।

मान्यवर, कम से कम आप इतना तो कीजिए कि वहां के किसानों को गन्ने का दाम दिलवा देते तो वे ज़िन्दा हो जाते। मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तुरन्त भारत सरकार से वहां रिलीफ दिलवाइए और नावों की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाइए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">SHRI P.S. GHATOWAR (DIBRUGARH): Sir, I am grateful to the hon. Members, Shri Ram Nagina Mishra and Shri Mohan, for having raised a discussion on the flood situation in our country ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Order please.

SHRI P.S. GHATOWAR Sir, any discussion on the flood situation would not be complete without discussing the flood situation of Assam in particular and that of the North-Eastern region in general.

Sir, you are aware that the North-Eastern States are endowed with enormous water resources but due to lack of proper utilisation of the this huge water resources, the mighty Brahmaputra and the Barrak rivers, in their present perspective, have become more of a liability than of any help to the people of Assam.

Sir, when we were in schools, we used to read in our text books that the Hwang-Ho river was known as the `sorrow of China'. But that Hwang-Ho river now has become the main source of prosperity in China. But Brahmaputra still has remained one of the main causes of misery for the people of Assam and the North-Eastern region.

Sir, before I come to the problem of flood, I would like to draw the attention of this august House to the recent devastating flood which has affected almost half of the State of Assam, consequently affecting more than 70 lakhs of people. I think, standing crops spread over more than 50 hectares of land have been destroyed and more than 100 lives have been lost in the flood and in the resultant landslide.

Sir, I would like to name some of the districts where the situation is very grim. The situation in the districts of Dhemaji, Nalbari, Lakhimpur, Morigaon, Jorhat, Sonitpur, Darrang, Dhubri, Goalpara and Cachar is so bad that the civil administration had to take the help of the Army to rescue the marooned people from the affected areas. Lakhs of people are passing their days under the open sky without any provision for proper relief.

Sir, the main problem for these people has been the lack of supply of essential commodities, medical facilities and drinking water. The recent flood has washed away the roads and bridges and taken the lives of many persons. The National Highways have been submerged. That has disturbed the surface communication which is the lifeline of Assam in the North-Eastern region. This has resulted in a situation of scarcity of essential commodities. The prices of commodities are very high because a majority of the essential commodities are transported from these parts of the country. In some places, the railway lines have also got submerged. The overall situation in Assam is very grim.

Sir, according to one estimate, from 1956 till 1996, the State of Assam has lost about Rs. 4,500 crore due to floods. Every year, thousands of acres of land suffer erosion on account of Brahmaputra and Barrak rivers. The

52 tributaries of these two rivers are creating havoc in the Brahmaputra and the Barrak valley.

17.00 hrs.

Erosion is one of the major problems being faced by the people of Assam. The Government of India has to seriously look into this problem. Besides other problems, flood and erosion are the two main problems which are detrimental to the economic growth of Assam and North-Eastern regions.

I would like to draw the attention of the Government towards certain other important points. In pursuance with the former Prime Minister, Shri H.D. Deve Gowda's announcement, "New initiatives for the North Eastern Region" made in Guwahati on October 27, 1996, a high level Commission was appointed to critically examine the gaps in important sectors of infrastructure development in North-Eastern region. The Commission recommended Rs.1194 crore for flood management measures upto 10th Five Year Plan with Rs.500 crore during 9th Five year Plan.

1701 hrs (Shri V. Sathiamoorthy in the Chair)

During 1996, the Government of India constituted Regional Task Force `B' for Flood Management in North-Eastern region, which reviewed various dimensions of flood management in this region and recommended to adopt a strategy of judicious mix of both short-term and long-term measures. The Task Force strongly recommended an amount of Rs.600 crore under Central sector to implement long-term measures for flood control in the North-East during 9th Five Year Plan. It also recommended Rs.1000 crore during 9th Five Year Plan to take up short-term measures including protection of Majuli Island in Assam.

These are the Reports of the Expert Committees constituted by the Central Government. I would request the Central Government that the recommendations made by this Commission and the Task Force should not be confined to papers alone but they should be implemented also. I think the Central Government has to take a serious view of these recommendations made by the Commission and the Task Force constituted by the Central Government.

Now, I would like to say about the Central Loan Assistance Scheme. There is a long-standing demand of the people of Assam to have a Central Loan Assistance Scheme. At present, the Central Loan Assistance Scheme is one-hundred per cent loan scheme and there is a demand that this should be converted into one-hundred per cent grant scheme in case of Assam. At present, the fund made available to the State Government is in the form of loan which is repayable with interest. The Central Government release the fund after deducting the earlier loan, the interest on it, and the balance amount is released to the State. If you see the figures, in the year 1992-93, the sanctioned amount under this scheme was Rs.25 crore and the amount actually released to the State Government after deduction of principal and interest was Rs.0.96 crore. Similarly, in 1993-94 out of the sanctioned amount of Rs.25 crore the State Government actually got only Rs.4.10 crore. I do not think this way the Central Government can give any relief to the suffering people of Assam. With the meagre amount available, the State Government is not in a position to take any proper step.

Every year there is flood in Assam because the mighty Brahmaputra and Barak rivers have to flow through a narrow valley and due to melting of snow from Himalayas, they always overflow. The Central Government has to take a long-term policy to solve this problem, otherwise, the people of North-Eastern region will always suffer due to flood. They will always be in difficulty due to flood.

The fund allocation by the Government of India under the Head, "2245-Relief and Natural Calamities", as per recommendation of different Finance Commissions is too inadequate in comparison with the gravity and magnitude of the perpetual huge flood damages. And after meeting the massive relief and rehabilitation costs, practically no fund is available for undertaking repair of the damaged roads, bunds etc.

I have a few suggestions to make to the Central Government. It is high time the problems of flood and erosion are recognised as national problems of high magnitude having inter-State and international ramifications. It is our earnest hope and desire that the Government of India would involve itself in a very serious manner in

mitigating the ravages caused by floods. In the above backdrop and also as a gesture of honour to the commitment of the former Prime Ministers, Shri H.D. Deve Gowda and Shri I.K. Gujral, the Government of India should effect an immediate change in the policy of converting the loan assistance to 100 per cent Central grant from the first year of the Ninth Five Year Plan.

In regard to outstanding debt burden on account of Central loan assistance for implementation of various flood control schemes, our humble submission is that the repayment of outstanding debt amounting to Rs.237 crore or so, as on 31-3-1995 be waived. I urge upon the Central Government to allocate an enhanced flood relief fund to the State Government.

There are various programmes recommended by the Expert Committee to the Central Government. I want to draw the attention of the Government to the recommendations of the high-powered Shukla Commission relating to the flood control. The additional budgetary support of Rs.500 crore during the Ninth Five Year Plan period, as committed by the then Prime Minister Shri Deve Gowda, be provided to the State.

MR. CHAIRMAN There are many Members who wish to participate in the debate. Please conclude now.

SHRI P.S. GHATOWAR (DIBRUGARH): Sir, I have taken only five minutes. People have taken 30 to 35 minutes.

MR. CHAIRMAN: You have taken more than 10 minutes.

SHRI P.S. GHATOWAR I will conclude in a few minutes, Sir.

There are various projects pending before the Central Government like Pagladia dam project, Tipaimukh dam project, Subansiri dam project, Dehang dam project, etc. If these projects are implemented, our country will become surplus in power generation. According to the estimates made by experts, the potential of hydroelectric power in the North-East is about 50,000 megawatt. All these projects appear to have been buried under the files. The Government of India have to dig out these files and implement these projects.

One of the main causes for occurrence of floods every year in Assam is that after the earthquake of 1950, the level of flood water went beyond the town level. Along with this, deforestation in the higher reaches has been causing silting of Brahmaputra and Barak rivers. The river bed is coming up and with the amount of water flowing every year remaining the same, the flood situation is going from bad to worse. The Central Government has to look into this problem of silting of Brahmaputra and Barak rivers and take some concrete steps to prevent this and save Assam and the North-Eastern region from these devastating floods.

Last but not least, we request the hon. Chairman to advise the Ministry of Environment and Forests to evolve a strategy towards an integrated watershed management in the hilly terrains within the State of Assam, neighbouring States and neighbouring countries to avoid devastating floods and rising of river beds with huge sedimentation. Financial support for the watershed management and catchment treatment should be borne by the Government of India which will help stabilisation of the hilly and flushy river in the long run reducing floods in Assam.

As we witness floods in the North-East region every year, there should be some buffer stock of the essential commodities in the North-East region. When the floods come, they submerge the railway lines and National Highways. Everything from this side goes through the chicken's neck. This is a small strip through which all the essential commodities go to that region. Many of the hon. Members and many of the people outside the North-Eastern Region do not know that when we go home, we fly over a foreign country. Many of the top officials in the Government of India do not know the name of the Capitals of the North-Eastern States. When I came here, many people asked: Is Dibrugarh in Nagaland? This type of attitude is there with the people in power. I think, this is because of lack of knowledge. This will send a bad signal about Assam. All this is contributing to the secessionist tendencies in the North-East Region. We are not supporting them. Congress party has always been fighting secessionism. More than 600 people have laid down their lives to the bullets of terrorists to keep Assam

in the national mainstream. The Central Government has to sincerely take all these problems into consideration and should try to solve them so that the people of that part of the country feel a sense of belonging.

">

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : सभापति जी, मैं श्री राम नगीना मिश्र के साथ अपने को जोड़ते हुए सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल अपने क्षेत्र के ि वषय में ही चर्चा करूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र बांसगांव करीब आठ नदियों के संगम में बसा हुआ है। जो मुख्य रूप से राप्ति, घुर्रा, आमी, रोहिम, तरैना और फरेद नाले से प्रभावित रहता है। आज जो भयंकर बाढ़ की स्थिति है, उसके कारण राप्ती और घाघरा को छोड़कर बाकी सभी नदियों के किनारे लगे तटबंध टूट गये हैं। उनके टूट जाने से मेरे संसदीय क्षेत्र के चार विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से जल प्लावित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से राहत कार्य में जुटी हुई है लेकिन बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राहत कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से चार मांगें है। प्रथम मांग है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान देकर राहत कार्यों की युद्ध स्तर पर व्यवस्था कराये, दूसरी मांग है कि यदि संभव हो सके तो जैसा पेपरों में आया है और हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे जिलाधिकारी ने टेलीफोन पर मुझे बताया कि नेपाल सरकार ने बैराज को खोल दिया है जिससे बाढ़ की विभीषिका और बढ़ती जा रही है। नदियों का बहाव निरंतर जारी है, ऐसी हालत में यदि नदियों का बहाव जारी रहा तो राप्ती के किनारे जो तटबंध लगे हुए हैं, वे भी टूट जायेंगे और उनके टूट जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र के कम से कम २०० गांवों में घरों के ऊपर तक पानी बहने लगेगा जिससे धन-जन की बहुत बड़ी क्षति होगी।

इसलिए भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस बैराज को बंद कराने की व्यवस्था करे। जब तक नदियों का जलस्तर न घटे तब तक उस बैराज को बंद करके वहां जल रोकने की व्यवस्था करायें।

तीसरी मांग है बाढ़ हमेशा अगस्त के अंत में अथवा सितम्बर के पहले हफ्ते में आती थी, तब तक तमाम मोटी फसलें तैयार हो जाती थीं। आज जब खेत में बीज पड़ा, उसी समय बाढ़ आ गई जिससे धान, बाजरा, मकई, सारी फसलें समाप्त हो गईं, पशुओं के चारे के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं उस क्षेत्र का निरीक्षण करें और विशेष सहायता और बल के साथ, राप्ती नदी के किनारे जो तटबंध लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा कराएं, वह टूटने न पाए क्योंकि हमारे संसदीय क्षेत्र का सम्पर्क गोरखपुर से पूर्णतया कट चुका है और जो मुख्य सड़क गोरखपुर से इलाहाबाद की तरफ, आजमगढ़ की तरफ जाती है, उसमें पांच फुट पानी बह रहा है और वह आवागमन के लिए बंद हो चुकी है। उसी तरह से देवरिया, आजमगढ़, बस्ती सभी जिलों से सम्पर्क समाप्त है, कोई सम्पर्क सूत्र नहीं रह गया क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में कोई रेलवे लाइन नहीं है, केवल सड़क मार्ग से आवागमन की सुविधा थी, वह भी समाप्त हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार स्वयं इसका निरीक्षण करे और निरीक्षण करके उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। वहां के विद्यार्थियों की फीस माफ कराएं, विद्यार्थियों के लिए कापी, किताबों की व्यवस्था कराएं, जो लाखों मकान ध्वस्त हो चुके हैं, बाढ़ के हटने के बाद उन्हें भी विशेष अनुदान देकर बनवाने का काम करें ताकि वहां के लोगों में आशा का नया संचार हो और इस विभीषिका से उन्हें कुछ राहत मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।१

">श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : माननीय सभापति महोदय, बाढ़ के बारे में श्री मोहन सिंह ने जो चर्चा शुरु की थी, लगता है कि जिस तरह से हमारा देश कई तरह के सीजन से गुजरता है, उसी तरह हम संसद में हर साल कभी बाढ़ के बारे में और कभी सूखे के बारे में चर्चा करते हैं। यह हमारा रूटीन काम हो गया है। इससे देश को क्या फायदा हो सकता है, मुझे नहीं पता। आप इसे नैचुरल कैलेमिटी भले ही कहें लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि नैचुरल कैलेमिटी अचानक आती है। जैसे यदि बंगाल की खाड़ी में तूफान आ जाए तो उससे जो क्षति होगी, उसे हम नैचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं। अभी दार्जिलिंग जिले में काफी पानी आने की वजह से मिट्टी टूटकर लोगों पर गिरी, घरों में गिरी, रास्तों में गिरी जिससे घर टूटे, रास्ते टूटे और जान-माल की हानि हुई। इसे हम नैचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं लेकिन बाढ़ को, सूखे को नैचुरल कैलेमिटी कहकर हम देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह नहीं चल सकता। यदि किसी मलेरिया की बीमारी के रोगी के शरीर में दर्द है, बुखार है, वह डाक्टर के पास गया और उसे पैरासीटामोल या क्रोसीन दी गई तो उससे उसका बुखार जरूर उतर जाएगा लेकिन मलेरिया रोग का ट्रीटमैंट नहीं होगा। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ जो हमारे देश का मलेरिया है, उसे हटाने के लिए कुनैन की जरूरत है, जिससे सही मायने में मलेरिया हट सकता है, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा।

आज सुबह पानी पर चर्चा हो रही थी। श्री सैफुद्दीन सोज साहब अभी नहीं हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया था।

हमारे माननीय मंत्री सोमपाल जी ने इसको किसी तरह टालकर, घसीटकर जैसे मालूम होता है पानी का सवाल सिर्फ पीने के पानी का, ड्रिंकिंग वाटर के साथ सम्बन्ध रखने वाला है। मुझे लगता है कि ड्रिंकिंग वाटर तीन से चार परसेंट ड्रिंकिंग वाटर है, जितना पानी है, उस पानी का तीन से चार प्रतिशत पानी हम पीने के लिए खर्च करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का जो सामान है, तरीका है, उस तरीके को हम अपना नहीं पाते हैं, उसको हम पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है, वगैरह-वगैरह, इन सब बातों से हम उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। सही तौर पर ड्रिंकिंग वाटर की कोई कमी हमारे देश में नहीं है, लेकिन पानी की कमी जरूर हो रही है। यह पानी की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हम ड्रिंकिंग वाटर में तीन-चार परसेंट पानी खर्च करते हैं, ८५ प्रतिशत पानी हम इर्रीगेशन में खर्च करते हैं, हमारे उद्योगों में पानी खर्च होता है, इन सब को एक साथ मिलाकर अगर पानी के मामले में सोचा जाये, उस अवस्था में पानी जरूर घट रहा है, कैसे हम उसके बचाव के बारे में सोचेंगे? इसमें सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को खींचकर लाकर हम सही माने में पानी की समस्या को टालने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह हम कहना चाहते हैं, इसको अलग से देखने से नहीं चलेगा, पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, प्रदूषण की समस्या, पावर की समस्या, सब को एक साथ मिलाकर हमको एक नेशनल प्रोग्राम बनाना है, जिसके जरिये हम इससे आइन्दा के लिए मुक्ति पा सकते हैं।

अभी इसको नैचुरल कैलेमिटी कहकर हमने एक फंड बनाया है, उस फंड की जरिये मैचिंग ग्राण्ट, जिसमें राज्य सरकार भी कुछ पैसा देती है, केन्द्र सरकार भी कुछ पैसा देती है, अभी-अभी मोहन सिंह जी मंत्री जी का जवाब पढ़ रहे थे, उसी की मिसाल देते हुए मैं कहता हूं, क्या यही मैचिंग ग्राण्ट है? २.५ परसेंट जो उन्होंने बताया, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अगेन्स्ट में २.५ परसेंट हमें सैण्टर से असिस्टेंस मिले, यह कोई मैचिंग ग्राण्ट है, यह कोई सहायता है? क्यों हम इस सहायता के बारे में बातचीत करें? क्या हम बाढ़ से, क्या हम सूखे से मुकाबला नहीं कर सकते हैं? हम अगर हमारी जो बांध की परियोजनाएं हैं,

उनको अगर सफल करें, उनको अगर कामयाब बनायें और हम नदी के प्रदूषण को अगर दूर करने का बन्दोबस्त करें, नदी के बहाव को अगर हम बनाये रखने का बन्दोबस्त करें तो हमारा वेस्टेज ऑफ पानी रोक सकते हैं और हमारी पानी की जो कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं, बाढ़ का मुकाबला कर सकते हैं, सूखे का मुकाबला हम कर सकते हैं। हम उधर क्यों नहीं जाते? हम करोड़ों रुपया वर्लड बैंक से उधार लेते हैं, हम करोड़ों रुपया आई.एम.एफ. से उधार लेते हैं और किन कामों में इसको खर्च करते हैं? इन परियोजनाओं पर खर्च नहीं किया गया तो ये परियोजनाएं अधूरी रह जायेंगी। मैं सभी को फ्री सर्विस होने की बात नहीं बोल रहा हूं। पानी का, सूखे का मुकाबला करना, इर्रीगेशन का बन्दोबस्त करना, बाढ़ से मुकाबला करना, सब कुछ आप फ्री कर दीजिए, हम यह बात नहीं कह रहा हूं। वर्लड बैंक से रुपया ले रहे हैं, आई.एम.एफ. से रुपया ले रहे हैं, इसके जरिये हमारा जिन बांधों पर अभी काम चल रहा है, उन बांधों का काम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हम खत्म कर सकें, उसका बन्दोबस्त कर सकते हैं। हम नदी की गहराई को सही तौर पर सही जगह पर लाने का बन्दोबस्त करके बाढ़ और सूखे का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें हमारा जो खर्च होगा, उस खर्च को इर्रीगेशन से, मार्जिनल फार्मर्स को छोड़कर बाकी जितने फार्मर्स हैं, उन पर सरचार्ज लगाकर हम उस खर्चे को उठा सकते हैं, उसमें १० साल लग सकते हैं, पांच साल लग सकते हैं, लेकिन हमारा रुपया वसूल हो सकता है। अपनी नजर को हमें उठाना पड़ेगा, कुछ आदमियों को ही फायदा हो, इस दृष्टिकोण से अगर हम काम करें तो कभी भी इन समस्याओं का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे।

आम आदमी की समस्या को ध्यान में रखकर काम करना चाहेंगे तो जरूर इन समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं। मेरा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान वहां पर वर्तमान प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी दौरा किया था। अभी हमारे साथी असम के बारे में बोल रहे थे। असम के बारे में हम रोज सुनते हैं। हमारे भी कई रिश्तेदार वहां रहते हैं इसलिए हम वहां की हालत जानते हैं। उसी तरह से पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी आता है, जलपाइगुड़ी, माल्दा, कूच बिहार, दक्षिण नागपुर और मुर्शिदाबाद जिले भी बाढ़ से पीड़ित हैं। वहां गंगा एक्शन प्लान बनाया गया है, लेकिन मेरे इलाके को उसमें नहीं शामिल किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रतुबा थाना के अंतर्गत बिलाईमाड़ी, महनंदा टोला आदि ग्राम पंचायतों में एक के बाद एक गांव पानी के नीचे जा रहे हैं। एक तरफ तो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ नदी का कटाव हो रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक कई गांव पानी के अंदर जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए अलग से कोई बंदोबस्त गंगा एक्शन प्लान के तहत करना चाहिए, अगर वह नहीं हो सकता तो कोई अलग उपाय इरीगेशन डिपार्टमेंट को करना चाहिए। मैं इस विषय पर भी सरकार की दृष्टि खींचना चाहता हूं।

आखिरी में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अभी तक इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। आपने इसमें मैचिंग ग्रांट का सवाल रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार को २०० या ४०० करोड़ रुपये की जरूरत है, तो कोई भी राज्य सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकती, इसलिए वह मैचिंग ग्रांट के रूप में आपसे मदद मांगती है। अगर उसके बदले में केन्द्र सरकार उसे २०-५० करोड़ रुपये ही दे, तो उससे स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता। मेरा कहना है कि अगर मैचिंग ग्रांट की आधी राशि तुरंत वक्त पर जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो इन आपदाओं का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा। केन्द्र और राज्य के बीच बातचीत में तय होता है कि कितनी राशि की जरूरत है, तो उसे देने के लिए केन्द्र सरकार मजबूर होती है, लेकिन वह देती नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मैचिंग ग्रांट को सही वक्त पर और पूरा दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम सूखे और बाढ़ का मुकाबला कर सकते हैं।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी नई सरकार जरूर इस पर गौर करेगी और बाढ़ तथा सूखे से देश की रक्षा कैसे की जाए, इस पर सोचेगी।

">

श्री इन्द्रजीत मिश्र (खलीलाबाद) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वांचल में हुई बाढ़ से क्षति को ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र खलीलाबाद, संतकबीर नगर, कुछ ऐसे स्थान पर बसा हुआ है, जहां एक तरफ राप्ती नदी है, बीच में आमी, कठनइया तथा दक्षिण में घाघरा नदी है। लगातार वर्षा से इस क्षेत्र में तीन दिन में ही ९६७ सेंटीमीटर वर्षा हो गई, जबकि वहां का रिकार्ड है कि पूरे बरसात में ९०० सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि आमी नदी, बुद्धा नदी और दसिया ताल सब एक हो गए। उधर नेपाल से भी कहीं पानी छोड़ा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा क्षेत्र रामनगर से लेकर खेसरहा तक, मेदा वरल से खलीलाबाद तक पानी से भर गया। दसिया से चाँदचौरा, डिड़ई से वेलहर, पडिया से बाघनगर, नौगो से भगवानपुरा, फेउसी से रसूलाबाद तक का क्षेत्र बारिश के पानी से भर गया। इसी बीच वेलौली से घूरापाती तक राप्ती नदी के किनारे १५ किलोमीटर तक बांध है, उसमें स्थान-स्थान पर दरार पड़ गई। परिणाम यह हुआ कि वहां के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। प्रशासन ने व्यवस्था की और लोगों को वहां से निकाल कर पास के स्कूलों और कालेजों में ठहराया। उस क्षेत्र के जानवरों को वहां से निकालकर सड़क पर लाया गया। अभी बोआई हुई ही थी कि बाढ़ के कारण पूरी की पूरी फसल साफ हो गई। वहां के लोग बारिश के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि २५०० लोगों की जानें चली गईं और सैंकड़ों मवेशी मर गए। इस स्थिति से निपटे भी नहीं थे कि बांसगांव और गोरखपुर में राप्ती नदी में उफान आया और वहां के लोगों ने बंधा को काटना शुरू किया। बंधा को काटने से पानी फैल गया और वहां के गांवों में बुरी तरह से पानी भर गया। अभी जब मैं वहां गया था, तो एक गांव में ४०-४० घरों में बुरी तरह से पानी भरा हुआ था। मेरे सामने दलहौली गांव में बंधा में दरार के कारण पानी आ रहा था। जब मैंने बाढ़ खण्ड के लोगों से वहां के लोगों को बचाने के लिए कहा, तो कहने लगे कि हमारी जिम्मेदारी केवल बंधा की है, रिंगबांध की नहीं है। लोगों ने कहा कि आप हमें सहयोग दीजिए, तो हम लोगों को बचा लेंगे। मेरे साथ

SDM

थे, मैंने बालू बोरी भेजने का प्रयास किया। मेरे सामने ही सामने एक घर पूरी तरह से पानी में विलीन हो गया। मेरे गांव की यह स्थिति है। लोग अपने को बचाने के लिए मेदावल से बस्ती, दलहर से रुधौली मार्ग, मेदावल से खलीलाबाद मार्ग प्रयास कर रहे थे। ये स्थान नदी के पानी के बहाव के कारण कट गए थे और आ वागमन पूरी तरह से ठप्प हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने निरीक्षण किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों से बाढ़ की विभीषिका से निपटने की स्थिति में नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उस क्षेत्र की बाढ़ की विभिषिका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम डेढ़ अरब रुपए की सहायता करे।

महोदय, माननीय सदस्य राम नगीना मिश्र जी ने बताया कि इस क्षेत्र की चार-चार, पांच-पांच चीनी मिलों द्वारा इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का भुगतान नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के किसानों की स्थिति यह है कि उनके पास जो गेहूं है, वह सड़ रहा है और भूसा भी सड़ रहा है। एक तरफ आदेश है कि वसूली की जाए, लेकिन मिलें चाहे खलीलाबाद, बस्ती, भुंडरवा या गौर की हों, किसानों द्वारा वसूली नहीं हो पा रही है। यदि इस समय किसानों को वसूली हो जाए, तो उनको कुछ राहत मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में व्यवस्था करें। यह व्यवस्था चाहे राज्य सरकार द्वारा की जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाए, लेकिन व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वहां का जनजीवन विनाश की इस विभीषिका से लड़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

">">

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति महोदय, आपने मुझे नियम १९३ के अंतर्गत देश में बाढ़ की चर्चा पर माननीय मोहन सिंह जी एवं रामनगीना मिश्र जी द्वारा उठाई गई चर्चा में बोलने का अवसर दिया।

... (व्यवधान)

महोदय, बाढ़ के बारे में हमारे पूर्वांचल के कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की है लेकिन आज जैसे माननीय सदस्यों के विचार आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि सही तरीके से जो सहायता करनी चाहिए, उसमें सरकार अक्षम है और उससे बाढ़ पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आज पूरे पूर्वांचल में, बाढ़ से घिरे हुए सैंकड़ों गांव, जो बाढ़ की चपेट में हैं वहां राहत के नाम पर कोई ऐसा कारगर कदम सरकार नहीं उठा पाई है। अभी मोहन सिंह जी जब अपने विचार रख रहे थे तो उस समय मैंने देखा, हमारे मंत्री महोदय का भी उत्तर आया है लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं हैं। जब बाढ़ आती है तो माननीय मंत्रीगण हैलीकाप्टर से या हवाई जहाज से सर्वेक्षण करते हैं, जब कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों के बीच में उनको जाना चाहिए, उनसे सम्पर्क करना चाहिए। उनकी क्या समस्याएं हैं उन पर मंत्री जी को ध्यान से विचार करना चाहिए। अब तक सूचना मिली है, रोज टेलीविजन, समाचारपत्रों में और रेडियों में सुनने को मिलता है कि सैंकड़ों लोग बाढ़ की चपेट में आकर मर चुके हैं।

महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र चैल, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, जिसे दोआबा भी कहते हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र दोआबा इसलिए कहलाता है, क्योंकि एक तरफ यमुना नदी है और दूसरी तरफ गंगा नदी है तथा मेरा जो बीच का हिस्सा है, इलाहाबाद से लेकर फतेहपुर तक बसा हुआ है। जब कि आज भी बाढ़ की चपेट में पूरा पूर्वांचल जकड़ा हुआ है लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में किनारे पर बसे हुए सैंकड़ों गांव आज भी बाढ़ की चपेट में हैं। इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर के सैंकड़ों गांव, जो नदियों के बीच में हैं, हम लोग बराबर वहां के जिलाधिकारियों को समय-समय पर आगाह करते रहे हैं, सचेत करते रहे हैं लेकिन अभी तक वहां पहले से कोई इंतजाम नहीं किया गया। इलाहाबाद, फतेहपुर और कौशाम्बी, ये तीनों जनपद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं।

17.30 hrs. (MR. SPEAKER IN THE CHAIR)

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो किसानों की हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसलें चौपट हुई हैं, खास कर हमारे यहां मुख्यतः गंगा और यमुना के किनारे-किनारे खेती होती है, जो बाढ़ प्रभावी क्षेत्र हैं वहां लगान माफ करें, फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिया जाए और आसान किश्तों पर ऋण मिले। वहां जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी फीस माफ हो और उनको उचित सहायता मिले। वहीं पर हमारे कुछ थोक और फुटकर बालू का व्यवसाय करने वाले लोग हैं वे भी इससे प्रभावित होते हैं, कुछ गांवों में छोटी-छोटी नदियां भी हैं, वहां जो नालें हैं उनसे होकर पानी जब गांव में आता है तो पूरे गांव के लोगों का आवागमन रूक जाता है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पोन्टून का पुल बना कर वहां आवागमन के लिए कोई उचित व्यवस्था करे। मेरी एक मांग ओर है कि इन तमाम नदियों के किनारे पर कुछ गांव बसे हुए हैं, वहां घाट बने हुए हैं और वे बड़े महत्वपूर्ण घाट हैं, जहां लोगों के नहाने का, आने-जाने का तथा खेती आदि करने का एक रास्ता होता है, वहां बाढ़ चौकियां स्थापित हों और साथ ही साथ सरकारी नाव की भी व्यवस्था हो ताकि वे बाढ़ चौकियां कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटने पर उचित कदम उठा सकें।

पशुओं के लिए बाढ़ में चारे की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आवश्यक वस्तुएं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मेरी मांग है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं सरकार मुहैय्या कराए। हमारे पूरे प्रदेश में बिजली इंजीनियरों की हड़ताल चल रही है, वहां पर बिजली नहीं है, अस्पतालों में पेयजल की समस्या है। बरसात के दिनों में कुओं का पानी प्रदूषित हो जाता है, उनमें दवा डाली जानी चाहिए।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हमारी सेना के जवान जो मदद कर रहे हैं मैं सदन के माध्यम से उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा तथा साथ ही कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं भी सहायता कर रही हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरी इन बातों का ध्यान रखते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था करने की कृपा करे।

दैवी-आपदा के नाम पर हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में चाहे गांव में आग लग जाए या नाव डूब जाए तो हम लोग प्रधान मंत्री जी से या मुख्यमंत्री से जब निवेदन करते हैं तो वहां से लिखित उत्तर आ जाता है कि यह मामला दैवी आपदा में नहीं आता है। मैंने इस सदन के माध्यम से निवेदन किया था कि प्रधान मंत्री राहत कोष से उन मृतक परिवारों को सहायता मिले। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हर राज्य के हर जिले में एक फ्लड डिवीजन स्थापित हो। जब बाढ़ आई तो कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं। नेपाल के पानी के बारे में भी हमारी सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए। कुछ नदियों

पर कपाट की व्यवस्था है और हमारा निचला इलाका उन नदियों के कपाट खुलने के कारण पानी से भर जाता है और बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मोहन सिंह जी ने बाढ़ की स्थिति पर जो चर्चा शुरू की है उसमें शामिल होकर मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ष बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होती है और सुझाव भी आते हैं और सरकार की ओर से विश्वास भी दिलाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्थिति यही है जैसे 'पंचायत का कहना सही मगर रास्ता वहीं का वहीं'। देश के लोगों को बाढ़ से स्थाई रूप से बचाया जा सके, ऐसा कोई उपाय नहीं सोचा गया है। हर वर्ष एक लाख के करीब तो बाढ़ से पशु मर जाते हैं, १५०० लोग मर जाते हैं और देश की चार मिलियन हैक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हो जाती है। लोगों के घर ढह जाते हैं और इस प्रकार धन, जन और बल की बहुत हानि होती है। इसके लिए एक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाकर ७०० करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया। वह रुपया कैसे दिया जाता है यह भी जानने की जरुरत है। इसके लिए जो उपाय सोचे गये हैं वे केवल बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए ही सोचे गये हैं, देश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए कभी नहीं सोचा गया है और अगर इस तरफ सोचा गया है तो उस पर अमल नहीं किया गया है। इस देश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देश को बाढ़ से नहीं बचाया गया तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। जहां तक कम्पनसेशन की बात है तो वह रास्ते में ही बंट जाता है। आजादी के ५० वर्षों के बाद भी यह देश बाढ़ मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि सरकारों की राजनीतिक इच्छा-शक्ति इस ओर नहीं हुई। इस सरकार से हमारी आशा है कि वह इस दिशा में काम करेगी। इस सरकार के नेशनल एजेंडे में भी राष्ट्रीय जल नीति बनाने की घोषणा की गयी है। प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि हमारे देश की बारिश का ७५ प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है, उसको संभालने की जरुरत है।

मेरा पहला सुझाव है और कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस पर चर्चा की है और अपने सुझाव दिये हैं।

जिस इलाके में एक हजार मिलीमीटर वर्षा होती है, वहां की भूमि को पांच मीटर गहरा खोदा जाए। वहां तालाब, झीलें बनायी जाएंगी तो ७५० टी.एम.सी. पानी सम्भाला जा सकता है। इससे कई एरियाज हमेशा के लिए फ्लड़ से बच सकते हैं। नदियों की गहराई बढ़ानी चाहिए। बहुत सी नदियां टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। उन्हें केनाल की शेप दी जाए। इससे वे कम एरिया लेंगी, गहरी होने से प्रदूषण से बचाव हो सकता है, उनकी क्षमता बढ़ सकती है और उनका बहाव तेज हो सकता है। नदियों में बांध बनाए जाते हैं लेकिन वे कच्चे होते हैं। बारिश के समय बांध में काम शुरु होता है। वे बांध कागजों में दिखाए जाते हैं। बाद में कह दिया जाता है कि बाढ़ से बांध बह गए। नदियों को गहरा किया जाए। इससे करप्शन भी रुकेगा। छोटी-छोटी नदियां मिलने से बड़ी नदियां बनती हैं। अगर बड़ी नदियों को डाइ वर्ट किया जाए तो अच्छा होगा। छोटी नदियों में लगातार पानी चलने की व्यवस्था की जाए। इससे काफी बचाव होगा। पहाड़ी क्षेत्र का बारिश का पानी प्लेन एरियाज को नुकसान पहुंचाता है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे डैम बना दिए जाए तो पानी रुक सकता है। इससे वह पानी सिंचाई के काम भी आ सकता है। मैंने पहले भी इस तरफ कृषि मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। मेरे क्षेत्र में इस बार बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी वहां बाढ़ आ गई। बारिश हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हुई थी। वह पानी हमारे यहां आ गया। इससे ३००-४०० गांवों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारे यहां हर वर्ष बाढ़ से नुकसान होता है। वहां पहाड़ों का पानी आ जाता है। हरियाणा वालों ने पहाड़ी पानी को मुस्तफाबाद और सरस्वती झील में रोका हुआ है। वहां जब पानी आता है तो वे इसके गेट खोल देते हैं। वह इकट्ठा पानी पंजाब को नुकसान पहुंचाता है। पटियाला, संगरूर और मानसा जिलों में इससे बहुत नुकसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में डैम बनाए जाएं। हरियाणा सरकार ने ३६५ करोड़ रुपए का एक प्रोजैक्ट टांगरी, मारकंडा, घग्घर का भेजा है। डेराबाजी के नजदीक बेराज बन सकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से पैसा दिया जाए। जिन प्रदेशों में बाढ़ आती है, वहां के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलायी जाए। उनसे इस बारे में सुझाव लिए जाएं। प्रदेशों को लम्बे समय तक बाढ़ से बचाने के लिए केन्द्र सरकार पैसे मुहैय्या करे। इससे देश बच सकता है। मेरे क्षेत्र में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए पैसे का इंतजाम केन्द्र सरकार करे। यह राष्ट्रीय हित की बात है। पाकिस्तान ने रावी नदी पर बांध बना दिया है। रावी के पानी का रास्ता बदल रहा है। इससे पंजाब तबाह हो जाएगा। राजस्थान की तरफ भी उसने बांध बना दिया। सूरतगढ़ जो राजस्थान का इलाका है, वहां झील बन गई है। इस बारे में सोचने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अ पनी बात समाप्त करता हूं।

">

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह और माननीय श्री राम नगीना मिश्र ने चर्चा प्र ारम्भ की है। मैं बाढ़ के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अनेक प्रान्तों में बाढ़ हर वर्ष आती है। हम लोग हर वर्ष उस पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद उसके क्या परिणाम निकलते हैं, इस पर अगले साल फिर चर्चा में बोलते हैं। इस प्रकार हर साल यह चर्चा चलती रहती है। जब से प्र ाकृति का निर्णाण हुआ है, बाढ़ आती-जाती रहती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ की चपेट में मुख्य रूप से असम, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग, बिहार और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। गत वर्ष १९९७ में जिस प्रकार से बाढ़ आई, उसमें २२२ लाख एकड़ जमीन की फसल नष्ट हो गई। केन्द्र सरकार से इस बात की लगातार मांग की जाती रही कि बाढ़ आपदा के लिये सहायता दी जाये। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि बाढ़ पीड़ितों के लिये १० करोड़ रुपया दिया गया है। इसके लिये २१०० करोड़ रुपया मांगा गया था। मंत्री जी का कहना है कि आपदा कोष में केवल ४५ करोड़ रुपया इस वर्ष रखा गया है, इसलिये आपको १० करोड़ रुपये मिलेंगे। माननीय कृषि मंत्री किसानों के दुख-दर्द से पूरी तरह वाकिफ हैं और आप जानते हैं कि इस वर्ष कितना नुकसान हुआ है। हर वर्ष हमारी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाती है। हम हवाई जहाज से जाकर बाढ़ की विभीषिका देख लेते हैं। माननीय मंत्री जी खुद एक किसान हैं और वे खुद जानते हैं कि किसान की इस स्थिति में क्या हालत होती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में आई बाढ़ के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त नुकसान हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिला की त्योंथर तहसील पूरी तरह बाढ़ में बह गई। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से बांध का पानी छोड़ दिया गया। नेपाल से पानी छूटता है जो उत्तर प्रदेश से होकर आता है। मेरा कहना है कि सरकार हमेशा के लिये तो इस मसले को हल नहीं कर सकती लेकिन यह मालूम है कि वर्षा १५ जून से प्रारम्भ हो जाती हैं और बाढ़ जुलाई महीने में आने लगती है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि १५ जून को सभी राज्य सरकारों को निर्देश दें कि बाढ़ से

बचने के लिये पूरी तैयारियां की जायें। ब्रहमपुत्र नदी में बाढ़ आने से असम में १०० लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तबाही हुई है जहां १७० लोग मारे जा चुके हैं। लोगो के घर डूब में आ गये हैं, उनका अनाज डूब गया है, जानवर बिना चारे के रह गये हैं। इसलिये मेरा कहना है कि हम लोग यहां पर इन सारे प्रान्तों में आई बाढ़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं लेकिन वे लोग किस प्रकार टैटों में रह रहे हैं, वे सड़कों पर आ गये हैं, यह एक दुखदायी स्थिति होती है। प्रधानमंत्री आपदा कोष से केवल १० करोड़ दिया गया है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस धनराशि से कितनी सहायता की जा सकती है? बाढ़ का सर्वेक्षण कतरने के लिये हमारा केन्द्रीय अध्ययन दल देरी से पहुंचता है और वह भी बरसात के बाद जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय कम है और बहुत से लोगों को बोलना है। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय प्रधानमंत्री एक साथ बैठकर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा करके यह फैसला करें कि बाढ़ विभीषिका का सामना करने के लिये खुले हाथों से धनराशि सहायता के रूप में दी जाये। खुले हाथ से आप दीजिए। पांच-दस करोड़ रुपया देने से काम नहीं चलेगा। मेरा केवल यही सुझाव है कि जितने प्रदेशों में बाढ़ आई है, वहां तत्काल सर्वेक्षण दल भेजें और स्थिति का जायज़ा लेकर उन राज्यों की पूरी तरह से मदद करेंगे तभी वहां के किसानों को लाभ मिलेगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

">

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी और राम नगीना मिश्र जी ने जिस लोक महत्व के सवाल को छेड़ा है, उससे अपने को संबद्ध करते हुए एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि यह बाढ़ दैवी प्रकोप है, मैं इसे दैवी प्रकोप की बाढ़ नहीं मानता। चक्रवात एक दैवी प्रकोप है जो देश के अनेक हिस्सों में आया और जहां चक्रवात आया वहां भारत सरकार के कृषि मंत्री से लेकर केन्द्र की टीम भी गई, वहां की दर्दनाक स्थिति को देखा और राहत भी दी। यह चक्रवात एक दैवी प्रकोप था। मैं मानता हूं कि यह अधिकारियों की और नेपाल सरकार की भेजी हुई बाढ़ है - वह इसलिए कि अगर समय से बांध ठीक हुए होते, नदियों को गहरा करने की योजना बनी होती तो यह बाढ़ न आती।

मैं जब विधान सभा में था, हमारे राजनीतिक गुरू उग्रसेन जी थे जो इस सदन के सदस्य थे, उस समय पंचमेश्वरी बांध, बालू बांध, जलकुंडी बांध और नेपाल सरकार से भारत सरकार की वार्ता की चर्चा चली थी। भारत सरकार की वार्ता होने के बाद अगर नेपाल पानी न छोड़े तो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का हिस्सा जिसमें घाघरा, नारायणी, छोटी गंडक, राप्ती, इन तमाम नदियों में जो पानी जाता है, उससे लोगों को राहत मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से जो केन्द्र में सरकार थी, उसने वार्ता नहीं की। उसका नतीजा यह हुआ कि हम जिस सरकार में हैं, उस सरकार के प्रधान मंत्री से इसी सदन में, आज से कई दिन पहले हमने चिल्लाकर कहा कि हमें बचाओ, हम डूबने जा रहे है और उसके दूसरे ही दिन नेपाल ने पानी छोड़ दिया। बिहार सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिपरासी बांध टूट गया और जब वह टूटा तो उससे ५० गांव डूब गए। उसके बाद कुशीनगर रिंग बांध टूटा और नेपाल ने पानी छोड़ा तो पूर्वांचल के नौ जिले पानी के अंदर समा गए। हम लोग इस सदन में बैठे हैं, आप यकीन मानिए कि वहां छतों पर लोग, पेड़ों पर लोग, बांधों पर लोग और ऊपर से बारिश हो रही है । जब तेज धारा बह रही है तो उस में कितने लोग बह गए, कितने जानवर बह गए, इसका आंकड़ा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हवाई जहाज़ से सर्वेक्षण कर लिया लेकिन जो डूबे हुए लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए? उसके लिए सेना के जवान गए हैं। सेना के जवान सिद्धार्थनगर में, सेना के जवान बस्ती में और कुशीनगर तथा पिपरासी में पड़े हैं। उन लोगों को कहां ले जाकर बैठाएं। आज हमें टेलीफोन से खबर झमिली कि नेपाल ने जो पानी छोड़ा था, उसके कारण सलेमपुर का इलाका पूरे का पूरा पानी में डूब गया। अभी मिश्रा जी ने कहा कि गन्ने का बकाया दाम किसानों को दिला दें - वह तो भारत सरकार को दिलाना था, मगर वह बात अलग है। हमको इस समय सदन में विचार करना चाहिए कि जो लोग पानी में फंसे हैं, उनको कैसे निकाला जाए।

18.00 hrs.

उनको कैसे ले आयें। इस बीच में वसूली का मामला है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कम से कम जब लोग डूब रहे हैं तो वसूली स्थगित होनी चाहिए। उनके बचाव का रास्ता होना चाहिए। नाव के लिए दुहाई हो रही है कि नाव आये, इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद तक नाव के लिए जा रहे हैं, लेकिन नाव कहीं नहीं मिल रही है। नाव इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो जो नावें काम में लगी थीं, उनको मजदूरी ही नहीं दी गई। ये इंजीनियर्स सोचते हैं कि जब बाढ़ आ जायेगी तो हमारा घर बन जायेगा। इस सदन के माननीय सदस्य श्री वोरा जी अभी बैठे थे, वे जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो एक गांव को उन्होंने ६५ लाख रुपये दिये थे। घाघरा नदी के एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नहीं है। गांव के गांव नदी में बह गये हैं। इस समय वहां कटाव है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि नेपाल सरकार के कारण जो यह बाढ़ आई है, भारत सरकार उनसे तत्काल आज ही वार्ता करके बाढ़ को रोकने की व्यवस्था करे और जिन लोगों ने पानी छोड़ा है, उन पर कार्यवाही की जाए।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि बिहार सरकार के अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारी, जिनकी लापरवाही के कारण यह बाढ़ आई है, उनके ऊपर कार्यवाही की जाए और वहां वसूली रोकी जाए। छात्रों की फीस रोकी जाए

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): पिपरासी का बांध टूट गया, आप बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का नाम लेते हैं। बाढ़ का जिम्मा भारत सरकार ले, ऐसी मांग क्यों नहीं करते हैं?

... (व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं, उनके मकानों को बनवाने का जिम्मा भारत सरकार ले और वहां भोजनालय की व्यवस्था की जाए

... (व्यवधान)

आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): आपके यहां तो चारा खाने का दायित्व है ... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आप केन्द्र सरकार को कहिये।

... (व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वहां भोजनालय की विशेष व्यवस्था की जाए, बचाव की व्यवस्था की जाए, छात्रों की फीस माफ की जाए और विशेष तौर पर आदरणीय प्रधान मंत्री जी या माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में यहां से एक दल जाए जो अपने तरीके से जांच करे और क्षति का आकलन लगाये। क्योंकि वहां पानी लम्बे अरसे तक रहेगा, वहां से पानी जल्दी नहीं निकलेगा। इसलिए मैं अंत में मांग करता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए यहां से एक टीम जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

MR. SPEAKER: Now I want to take the sense of the House. The House may be extended up to one hour till the end of the discussion. Today we want to complete the discussion.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा चल रही है।

SHRI SOM PAL: I would like to make a submission. Tomorrow I have got ten oral questions listed in my name in Rajya Sabha and if I sit here till late in the night, I do not have any time. This is the difficulty.

MR. SPEAKER: The House will sit late for only one hour up to 7 p.m.

... (Interruptions)

SHRI SOM PAL: Do you expect me to skip the ten questions? (Interruptions)

एक माननीय सदस्य: कल के लिए एडजर्न कर दें, आज हमें जाना है।

... (व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी बाढ़ की बहुत गंभीर समस्या है, इस पर पूरी चर्चा कराइये ... (व्यवधान)

SHRI SOM PAL: I am prepared to sit.

श्री शकुनी चौधरी सर, लगता है मंत्री जी इस मामले में गंभीर नहीं है।(व्यवधान)

SHRI SOM PAL: Please do not make such a charge. This is not correct. This seriousness is not your property. That is not proper. This seriousness is not your monopoly. (Interruptions) You cannot say that I am not serious.

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): मंत्री जी, आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

SHRI SOM PAL: You cannot say that I am not serious. You cannot say that. This is not the way to speak. My submission is that the import of all the speeches which you have listened and I listened here, most of the pinch which the hon. Members are expressing here relates to the domain of the State Governments. If they can be brief and come out with suggestions, we can complete it within a small time.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI MADAN LAL KHURANA): Sir, already two hours' time has been completed. If you allot one more hour, the discussion can be completed. So, my request to you is to extend the time by one hour. Each Member can be given five minutes... (Interruptions)

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): Sir, you cannot compel us to sit late. We have to go for an urgent meeting. Kindly adjourn the House now...(Interruptions)

MR. SPEAKER: The time is extended by only one hour.

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के कई राज्यों में बाढ़ की छाया है और सभी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए सदन की कार्यवाही को केवल एक घंटे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चर्चा रात्रि ९.०० बजे से पहले समाप्त नहीं हो पाएगी।

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): I would request you to adjourn the House now. The discussion can continue tomorrow so that every Member can be accommodated. All the BJP Members have to go for a meeting now...(Interruptions)

SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): Sir, if you want to extend the time of the House, it must be intimated to us much in advance so that we can adjust our programme accordingly. But, all of a sudden, if you want to extend the time, it becomes very difficult for us to cooperate with you in conducting the proceedings... (Interruptions)

SHRI MADAN LAL KHURANA: As I said earlier, my request to you is to extend the time by one hour because we have to complete it today. Otherwise, the Electricity Bill cannot be taken up. It has been pending for the last three days.

हमें विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, १९९८ को यहां से पारित कर के राज्य सभा में भी भेजना है।

MR. SPEAKER: Kindly cooperate.

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): We have an urgent meeting to attend. Kindly adjourn the House now. Tomorrow you can have it. Almost all the BJP Members are expected to participate in that meeting...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Tomorrow, we have a lot of business to complete. Shri Dhananjaya Kumar, please understand it.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: The time of the House is extended by one hour. We can complete it within one hour. Shri Dhananjaya Kumar, please spare one hour.

Shri S.P. Yadav to speak now.

">

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ से प्रति वर्ष जितनी बरबादी होती है उसकी ४० प्रतिशत बरबादी अकेले बिहार में होती है जिसके कारण बड़ी भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। हमारे माननीय हरि केवल बाबू बता रहे थे कि जो पिपरासी बांध टूटा वह बिहार के अधिकारियों की लापर

वाही से टूटा। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। बिहार के अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। बिहार के अधिकारियों के वश की बात होती, तो अधिकारी मिट्टी लेकर बांध बचा सकते थे, लेकिन जब बड़ा जबरदस्त पानी आए, तो अधिकारियों और राज्य सरकार के वश के बाहर की बात हो जाती है। बाढ़ को आने से रोकने का सही इलाज नहीं हो रहा है। यहां केवल मात्र चर्चा हो रही है कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, बिहार सरकार की लापरवाही है, जो ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के उस इलाके से आता हूं जहां मेरे घर से कोसी नदी केवल दो किलोमीटर दूर है और जिस कोसी नदी का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं। जब कोसी में विकराल बाढ़ आती है, तो बांध की बात कौन कहे, बांध से पांच-पांच फीट ऊपर पानी बहने लगता है। १९८७ की बाढ़ की जब याद आती है, तो आज भी लोग भय से कांप उठते हैं। यह जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उसका कारण क्या है, उसके पीछे कोई नहीं जाता है। इसलिए हमें बाढ़ आने के कारणों के पीछे जाना है।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से जो बरबादी होती है, उसमें लोग ही नहीं मरते, पशु भी मरते हैं।

बाढ़ की धारा में बच्चे बह जाते हैं। जब बाढ़ गांव में घुसती है तो लोग घरों में सोये हुए होते हैं, अचेत अव्यवस्था में होते हैं। बाद में यह सुनने में आता है कि सारा गांव बह गया, बच्चे बह गये, लोग मर गये, तो पशुओं को कौन पूछता है, कौन देखता है। फसल की बर्बादी के बारे में तो कहना ही मुश्किल है। बाढ़ के कारण फसल की बहुत भारी बर्बादी होती है। इसी तरह सड़क जो कि यातायात का साधन है, वह तहस-नहस हो जाती है। बाढ़ के कारण सड़कों की स्थिति, स्कूल भवनों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। स्कूल भवनों में बालू छाई रहती है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले। यह राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। राज्य सरकार को जो राशि मिलती है, वह बहुत कम है। उस पैसे से राज्य सरकार बाढ़ से मुकाबला नहीं कर सकती है, बाढ़ की विभीषिका से लोगों को नहीं बचा सकती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए बाढ़ नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़ दिया जाये। यदि इस नदी से उस नदी और उस नदी से इस नदी में हो जायेगा तो जिस नदी में कम पानी है उसमें ज्यादा नदी का पानी आ जायेगा।

... (व्यवधान)

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि अगर केन्द्र सरकार बाढ़ की समस्या का निदान कराना चाहती है तो नेपाल की नदियों का जो उदगम स्थल है जैसे कोसी का उदगम स्थल बराह क्षेत्र है।

... (व्यवधान)

कमला "> का उदगम स्थल सीसा पानी है और बागमती का उदगम स्थल नूनथड़ है।

... (व्यवधान)

यह जो तीन उदगम स्थल है वहां से पानी निकल रहा है।

... (व्यवधान)

मेरा यह कहना है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उसका समाधान निकाले। उसका असली निदान यही है कि कोसी, कमला और बागमती, इन तीनमं नदियों का जो उदगम स्थल है, उस पर हाई डैम बनाया जाये।

... (व्यवधान)

पानी का तो प्रश्न ही नहीं है। जब सुखाड़ आयेगा तब आप उस डैम को खोलकर पानी ले सकते हैं।

... (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, उनका इससे कल्याण होगा। उससे जो बिजली पैदा होगी, वह बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को दी जा सकती है। एक कहावत है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा।

... (व्यवधान)

बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से २८ करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केन्द्र सरकार ने केवल १० करोड़ रुपये ही दिये।

... (व्यवधान)

यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि बिहार सरकार को जितनी राशि की जरूरत है, उतनी राशि दी जाये।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)*

---

* Not Recorded

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादवः मेरा अंतिम निवेदन यह है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बातचीत करे जिससे बाढ़ की समस्या का सही निदान किया जा सकता है। अगर समय रहते केन्द्र सरकार इसको नहीं करेगी तो लोगों को तबाह करने वाली, मारने की सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर होगी।

... (व्यवधान)

और यदि सारे देश ,सारे बिहार और उत्तर प्रदेश को बचाना है

... (व्यवधान)

केन्द्र सरकार के कारण लोग आज परेशान हो रहे हैं।

... (व्यवधान)

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इसकी समुचित व्यवस्था कराये।

... (व्यवधान)

">

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी तथा राम नगीना मिश्र जी ने यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज सदन के सामने रखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे बस्ती, सिद्धार्थनगर, कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, पडरौना, कुशी नगर भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इन जिलों का सम्पर्क कई जिलों से टूट गया है। हमारे जनपद सिद्धार्थनगर का सम्पक मुख्यालय से, सड़क रास्ते से, बांसी ,डुमरियागंज और कई तहसीलों से टूटा हुआ है। वहां सेना बुलाई गई है और पूरा जिला बाढ़ की चपेट में है। यह जिला हर साल बाढ़ की चपेट में आता है क्योंकि यहां पर रापती नदी, कुड़ा नदी तमाम नदियों का जाल है और यह जनपद नेपाल सीमा से ५८ किलोमीटर लगा हुआ है जिससे नेपाल में जब भी अधिक पानी आता है तो वह इन नदियों में आ जाता है। इस जनपद में इस साल लगातार ४-५ दिनों तक जो भयंकर बारिश होती रही, उससे तमाम गांवों में मकान गिरते जा रहे हैं, हालत बड़ी खतरनाक है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि यहां से एक टीम भेजकर उसका जायजा लिया जाए और उनको राहत पहुंचाई जाए। बाढ़ को रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए, नदियों की जो सतह ऊपर हो गई है, उसकी डेजिंग (गहरा) की जाए जिससे वह नीचे हो जाए, बांधे मजबूत की जाएं जिससे आगे के लिए उन्हें बाढ़ से बचाया जा सके। वहां पर पशुओं की महामारी या आदमियों की जो बीमारी फैल रही है, उसके लिए दवा की व्यवस्था की जाए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार मदद तो कर रही है लेकिन मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को धन आवंटित किया जाए जिससे राहत का काम पूरा हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

">SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): Mr. Speaker, Sir, the South-West monsoon has been very vigorous this year in Kerala. Due to heavy rains and storms, there were big landslides, landslips and extensive sea erosion. Due to all these calamities, 81 lives were lost and 3,015 houses got damaged and washed away. The PWD roads became untrafficable. Due to all this, the minimum loss was estimated at Rs. 1,545 crore.

Sir, due to heavy rains and storms in Kerala, the crops like rubber, coconut, paddy and vegetables got severely damaged. There were landslides in Pathanamthitta, Idukki and Kannur. There was sea erosion in Kollam, Alappuzha, Ernakulam, Trichur, Malappuram, Kozhikode and Kasargod.

Due to all these calamities, we are in a very difficult state. Sir, you are aware about the land scape of Kerala. We lie in between the Western Ghat and the Arabian Sea. During landslides and when the sea is eroded, the very existence of the State is threatened.

Sir, our State is already reeling under heavy odds due to crash in prices of rubber, coconut and spices, And now, this heavy loss due to the natural calamities has occurred.

I request the hon. Minister for Agriculture to realise the difficulties that the tiny State is facing now. The normal share of allocation for the purpose of dealing with natural calamities according to the Tenth Finance Commission will not suffice. Crops worth at least Rs.500 crore are lost. Poor people in the State have lost their houses. If it is impossible to give direct help just now, kindly send a team and please help us to the tune of Rs.500 crore, apart from the natural calamities fund allocation, according to the norms of the Tenth Finance Commission.

Permanent measures should be thought of to protect the State. All along the sea coast of some 700 kms., sea is being eroded every year. The State cannot bear all the expenditure to protect the sea walls. The Central Government used to assist till 1982. I do not know why it was stopped. After 1982 we are not getting any help for sea protection. Kindly revive it and help the State.

I repeat that our tiny State lies in between the Western Ghats and the Arabian Sea. With the sea erosion and the land slides from the hills, the very existence of the State of Kerala is in danger. I request the hon. Minister that he may look into all this and kindly help us.

">

श्री बची सिंह रावत ठबचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में बाढ़ की विभीषिका को लेकर मोहन सिंह जी और श्री राम नगीना मिश्र जी ने जो यह चर्चा प्रारम्भ करवाई है, यह काफी सम-सामयिक है। इस समय जो सारी चिन्ता का विषय बना है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए विशेष रूप से उत्तरांचल क्षेत्र में बाढ़ से जो क्षति हुई है, उसके बारे में सदन का और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

अक्सर यह कल्पना की जाती है कि बाढ़ से जो क्षति होती है, वह केवल मैदानी क्षेत्र में होती है, जैसा अभी राघवन जी ने उल्लेख किया है। पर्वतीय क्षेत्र में इसकी विभीषिका और इसकी हानि किसी भी मायने में कम नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां तेज बहाव से नदी और नाले आते हैं, जैसे ही वे घाटी की ओर पहुंचते हैं तो घाटी में आते-आते जितने सम्पर्क मार्ग और रास्ते में पड़ने वाली उपजाऊ भूमि है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है।

जो दो-तीन प्रमुख घटनाएं घटी हैं, वे मैं बताना चाहता हूं। अभी वर्ष १९९३ में बाढ़ और अतिवृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र के घाटी क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। ११-१२ दिसम्बर, १९९३ को लगभग २० करोड़ रुपये की क्षति पूरे उत्तरांचल क्षेत्र के घाटी क्षेत्र में हुई थी, उसकी भरपाई भी नहीं हुई थी कि पांच सितम्बर, १९९५ को गौरी नदी की बाढ़ से जितने उस मार्ग पर मोटर पुल थे और जो अन्य खेत, मकान वगैरह थे, उनकी बहुत बड़ी हानि हुई है। अभी इसी वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को जोड़ने वाला जो मार्ग है, गुंजी के पास में डुंगडुंग नामक एक ग्राम है, उसमें पांच व्यक्ति मारे गये और २२ खच्चर, जो यात्रियों का सामान लेकर जाने वाले थे, उनकी भी तेज प्रवाह में बहकर जान गई है। इतना ही नहीं, अभी कुंजगड़ नदी में तेज वर्षा के बाद अतिवृष्टि हुई, उसको क्लाउड बर्सट नाम दिया गया। इसमें निरीक्षण, सर्वेक्षण सारे कुछ हुए, लेकिन वहां बाढ़ राहत का कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसमें दुर्भाग्य का विषय यह है कि अभी तक पर्वतीय क्षेत्र में जो नुकसान बरसात के मौसम में अतिवृष्टि या क्लाउड बर्सट के द्वारा होता है व भूस्खलन के द्वारा तेज बहाव से घाटी क्षेत्र में जो सीमित उपजाऊ भूमि है, उसके तेजी से कटाव के कारण होता है तो उसके नियंत्रण के लिए यह कहा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण से बाहर है, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं मिल पाती। केवल उसके अगले वर्ष के लिए भूमि संरक्षण विभाग, जो कि कृषि मंत्रालय और वन मंत्रालय के अन्तर्गत अलग-अलग विभाग हैं,

उनके हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और काश्तकार को या जिनको हानि हुई है, उनको कोई राहत सहायता के रूप में नहीं मिल पाती और न ही पुनर्वास का कार्य हो पाता है। पर्वतीय क्षेत्र का विषय चूंकि अछूता रहा है इसलिए वहां की हानि को देखते हुए, उसके ऊपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जो भी बाढ़ से क्षति हुई है और तमाम लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, ब्याज घाटी, चौखटिया घाटी, सरयू घाटी और पुंगर घाटी तथा उत्तरांचल क्षेत्र में अलकनंदा और गंगा के आसपास के इलाके में पानी का स्तर बढ़ने से बहुत क्षति हुई है। मेरा आग्रह होगा कि इस सारी हानि का अलग से सर्वेक्षण पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्षय में किया जाए, क्योंकि वि संरक्षण अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय ने १२ दिसम्बर, १९९६ को फैसला दिया था, अभी उस पर बहस चल रही है, उसके बाद नदी क्षेत्र में रेत और पत्थर के उठान पर रोक लगा दी गई है। इससे पर्वतीय क्षेत्र में सिल्ट जमा हो रही है। उसको न उठाने से पानी का वेग, फ्लो और करंट कम नहीं होने से मैदानी क्षेत्र में सिल्ट बहकर आ रही है। इसलिए इस पर भी पुनर्विचार किया जाए और कृषि मंत्रालय के साथ-साथ वन मंत्रालय को भी इसके लिए प्रावधान करना होगा, अन्यथा जो पर्वतीय क्षेत्र में तेजी से पानी और सिल्ट मैदानी क्षेत्र में आकर वहां के जल स्तर को ऊपर उठा रहा है, उससे बाढ़ में डूब का क्षेत्र काफी फैल गया है। इसलिए इस पर विचार किया जाए और मंत्रालयों को आपस में बैठकर कोआर्डिनेशन करना चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्र में हुई हानि के लिए विशेष सर्वेक्षण कराकर राहत का उपाय किया जाना चाहिए।

">

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, तुलसीदास की इस लाइन से मैं चर्चा में शरीक होना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। रामायण में तुलसीदास ने लिख है- परिहित चरिथ धर्म नहीं दूजा। इसका मतलब है कि दूसरे की मदद करना इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। यह बात भारत सरकार पर भी चरितार्थ होती है। भारत सरकार का कई वर्षों से गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन बना हुआ है। लेकिन यह मृतप्राय है। यदि यह अपना काम करता तो आज हमारे सांसद साथी जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं और मोहन सिंह जी तथा मिश्र जी जो प्रस्ताव लाए हैं, सम्भवतः उसकी आवश्यकता नहीं होती।

मंत्री जी एक किसान परिवार से आते हैं। बाढ़ में क्या कठिनाई होती है उसकी जानकारी आपको स्वयं भी है। आज बिहार की जनसंख्या नौ करोड़ है और लगभग तीन करोड़ की आबादी फ्लड में फंसी हुई है। मेरे निर्वाचर क्षेत्र बेगूसराय में हाल ही में १८ तारीख को जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो वहां आठ आदमी खेती करके और घास काटकर नाव में आ रहे थे कि बीच में ही नाव डूब गई और वे सारे लोग मारे गए। हमारे साथियों ने कहा कि हमारी तरफ जो पानी आता है वह नेपाल की तरफ से आता है। बिहार में दोनों तरफ से पानी आता है। नेपाल की तरफ से जो नदियां हैं, बागमती, कोसी, गंगा और दूसरी तरफ जो पहाड़ी नदियां हैं, छोटा नागपुर और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों की, उनसे भी पानी आता है। यह बात सही है कि नदियां काफी उथली हो गई हैं, नदियों की जो गहराई होनी चाहिए, वह भी कम हो गई है, जिसके चलते थोड़ा बहुत ही पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है। हमारी तरफ एक कहावत है, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में भी यही कहावत होगी- अदरा गए तो तीनों गए, सन, साठी और धान।

अदरा में बाढ़ आ गई। हम किसान जो खेती करने वाले लोग थे, मोरीपारे और मकै लगाया, पांच-छः फीट पानी आ गया। आज किसान की खेती बाढ़ में चली गई है। अध्यक्ष महोदय, आप हैदराबाद से आते हैं और आपको अखबारों के द्वारा या लोगों के द्वारा जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको अपने क्षेत्र के दर्द के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आपके क्षेत्र में पानी आया होता, आपके क्षेत्र के मतदाता भूखे मर रहे होते, उनको तीन दिन तक रोटी नहीं मिल रही होती, उनको रोशनी नहीं मिल रही होती, औरतों को पखाना जाने के लिए नाव का सहारा नहीं मिल रहा होता, तो आपको अन्दाज होता कि बाढ़ क्या चीज होती है। मोहन सिंह जी ने बाढ़ की समस्या पर चर्चा उठा कर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब वे मंत्री जी को बझा कर गड़बड़ कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और माननीय सदस्य भी उत्तर प्रदेश के एक तेजस्वी वक्ता है। मंत्री जी भी अपने जमाने में जब वे मंत्री नहीं थे, राज्य सभा के सदस्य थे, तो दल के प्रवक्ता थे और बड़े तेजस्वी थे। आज हमारे एक साथी ने कुछ कहा तो वे नाराज हो गए, मंत्री जी उनको क्षमा कर दीजिए। वे साथी भी हमारे बिहार से आते हैं, खगरिया उनका क्षेत्र है। यह इलाका भी डूबा हुआ है। हम १८-१९ तारीख को अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे। नाव से जाकर लौट आना पड़ा, हम नहीं जा सके, क्योंकि लोगों ने कहा कि पानी की धार बहुत तेज है, नाव डूब जाएगी। आप लौट कर वापिस चलिए। मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अगर कोई बीमार है, तो दवा देने के लिए डाक्टर नहीं जा रहा है। उनके साथ जानवर हैं, तो उन जानवरों को बांधने के लिए जगह नहीं है, चारा तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों को कोई दवा देने वाला नहीं है। चापाकल जो लगे हैं, वे छः फीट पानी के नीचे हैं। ये लोग वहीं पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। हो सकता है कि एक सप्ताह के बाद पानी का स्तर घट जाए, तो हैजा की बीमारी जबरदस्त फैल जाए। इस बीमारी से और भी अधिकर नुकसान हो जाएगा। इन लोगों का जीवन खतरे में है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे इस दल के सदस्य हों या उस दल के सदस्य हों, हम उत्तर प्रदेश या बिहार के बारे में शिकायत करके इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बिल भेज रहे हैं कि इस बिल में संशोधन करेंगे और उस बिल में संशोधन करेंगे, लेकिन रिलीफ कोड में संशोधन नहीं कर रहे हैं। आप साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से बिहार के किसी कोने में, फल्ड के इलाके में गए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि सरकार क्या रिलीफ दे रही है। सात दिन का सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार दे भी क्या सकती है। रोशनी करने के लिए उनके पास कैरोसिन तेल भी नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मैं इस घर को मंदिर के समान पूजता हूं। मैं २० वर्ष विधान सभा में रह चुका हूं। वहां मैं सुबह दस बजे आता था और अंत में विधान सभा को छोड़ता था। यहां पर भी मैं पौने ग्यारह बजे आता हूं और जब ताला खुलता है, तो मैं पहला व्यक्ति होता हूं, जो इस मंदिर में प्रवेश करता हूं। मेरी आस्था है कि मैं इस सदन को मंदिर की तरह मानता हूं। आप जब मुझे अवसर देते हैं, तो मैं बोलता हूं। कई बार मैंने बोलने का प्रयास किया और मेरा नाम दूसरे नम्बर पर था, लेकिन हमारे दल में भी एक से एक बड़े लोग हैं, एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक गवर्नर रहे हैं और हम गवर्नर नहीं रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है। हमारी तरफ आपकी नजर नहीं जाती है। मेरी सीट उधर दूसरी या तीसरी पंक्ति में होनी चाहिए, लेकिन मुझे स्थान यहां दिया गया है। मैं बीस बरस तक विधान सभा का सदस्य रह चुका हूं, एपैक्ट का चेयरमैन भी था, मिनिस्टर भी रहा हूं, लेकिन स्थान यहां दिया गया है। मैं आज तक कभी हारा नहीं हूं, शुरू से जीतता आया हूं। हारने का सवाल नहीं है, लेकिन मेरा स्थान आपने यहां दिया है। मैं एक विद्यार्थी की तरह यहां बैठा हुआ हूं और जैसा आपका आदेश होगा, वह मुझे शिरोधार्य होगा।

महोदय, जब बाढ़ आती है, तो मंत्री जी हवाईजहाज से दौरा करते हैं।

इसलिए मंत्री जी बाढ़ को कैसे देखें। नाव पर जाएंगे तो नाव डूब जाएगी इसलिए हवाई जहाज से एक बार बिहार का भी सर्वेक्षण कर लीजिए।

... (व्यवधान)

पूरे लखीसराय, मुंगेर, बेगुसराय आदि एरियाज़ को भी एक बार आप देख लीजिए और जो वहां के लिए मदद करना चाहते हैं वह करिए। दरभंगा और मधुबनी एरिया तो शुरु से ही फ्लड एरिया घोषित है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अगर आप बिहार की मदद करना चाहते हैं तो आप वहां ज्यादा से ज्यादा धन मुहैया करें।

">

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मोहन सिंह जी का जो बाढ़ से संबंधित प्रस्ताव आया है यह निश्चित रूप से चिन्ताजनक है और जब भी यह सदन शुरु होता है, बरसात शुरु होती है तो बाढ़ की चर्चा इस सदन में होती रही है। हम लोग भी इस सदन में रहे हैं और हमेशा इस सदन में बाढ़ की समस्याओं के बारे में चर्चा होती रही है। इस देश के किसी न किसी कोने में नदियां हैं और हम संसद सदस्य जहां से चुन कर आते हैं वहां बाढ़ की समस्या होती है। हर साल इसकी चर्चा होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब यह व्यवस्था हमारे देश की आजादी के बाद लागू हुई तो मैं समझता हूं कि उसमें यह पहला प्रस्ताव था कि इस देश में बाढ़ की समस्या का निराकरण किया जाए और उसको सिंचाई की तरफ मोड़ जाए।

... (व्यवधान)

उसकी व्यवस्था सिंचाई की तरफ की जाएगी तो कृषि प्रधान देश में खेती की उपज बढ़ेगी और किसानों में खुशहाली आएगी। मैं पिछले दिनों की सदन की कार्य वाही पढ़ रहा था तो जहां से ओम प्रकाश जी, जो गाजीपुर के संसद सदस्य हैं वहां से पहले विश्वनाथ गहमरी जी संसद सदस्य होते थे।

महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में, गरीबी के बारे में उन्होंने एक बार यहां एक वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य को सुन कर, उनकी समस्याओं को सुन कर उस समय नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, वह रो पड़े थे। वह समस्या बाढ़ की भी थी, सूखे की, गरीबी की भी थी और वहां की बदहाली की भी थी। उसी से संबंधित और उसी से मिलता-जुलता सवाल उत्तर प्रदेश का है। उस समय एक पटेल कमीशन बना था, उसने रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का विकास हो सकता है और पंडित नेहरू जी ने आश्वासन दिया था कि पटेल कमीशन ने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसको लागू किया जाएगा। उस समय १४ जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के होते थे और बिहार के भी जिले होते थे। आज उसमें लगभग २३-२४ जिले हो गए हैं और बिहार के कई जिले बढ़ गए हैं। पटेल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि बाढ़ की समस्या कैसे हल हो सकती है। बिहार के, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र है। पटेल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उस पर नेहरू जी ने कहा था कि अक्षरशः पटेल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से इस सवाल को सदन में उठाया, चाहे हमारी सरकार रही हो या दूसरी पार्टी की रही हो, इस देश का प्रधान मंत्री पटेल कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करने का आश्वासन सदन में दे चुका है लेकिन आज तक पटेल कमीशन को लागू नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि आप इस सदन के पीठासीन अधिकारी हैं, हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पटेल कमीशन की तीसरी लोकसभा के कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करवा दीजिए, उसका एक अध्ययन दल बनवा दीजिए तो तीन प्रदेश के बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और वहां के लोगों की सिचाई की समस्या भी हल हो जाएगी। उत्तर-भारत के कई प्रदेशों की स्थिति कुछ इस तरह की है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र और कुछ मैदानी क्षेत्र हैं- पहाड़ी क्षेत्र की बाढ़ की समस्या अलग तरह की है और मैदानी क्षेत्र की बाढ़ की समस्या अलग तरह की है। पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या ऐसी है कि वहां जो नाले हैं, अगर वहां पांच घंटे के लिए बर्सात होती है तो वे उसी में तबाही मचा कर चले जाते हैं।

मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदोई है। दो साल पहले वहां भीषण बरसात हुई थी। उसमें हमारी विधानसभा के २५ गांव बह गये थे, सड़कें बह गयी थीं और नाले के किनारे रहने वाले कोल जाति को लोगों के मकान और सामान बह गया था। वहां केवल पांच घंटे के लिए बाढ़ आई थी। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की बाढ़ की समस्याएं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या किस तरह की होती है, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या किस तरह की होती है, अगर इसके लिए एक अध्ययन दल आप बनवा दें तो समस्या की समझ आने पर उसका हल हो जाएगा।

डा. लोहिया कहते थे कि गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा की तलहटी को अगर गहरा कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और उनके मुहाने को बांध दिया जाएगा तो सिंचाई की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आज तक किसी सरकार ने ऐसी क्षमता नहीं दिखाई जिससे इस समस्या का उस तरह से हल हो पाता।

हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कुछ मुद्दों पर हममें एकता होनी चाहिए और इस तरह की विपदा की स्थिति में तो हमें एक होकर सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए और उस ओर सरकार को कदम उठाने चाहिए। दीन दयाल उपाध्याय के विचारों के हम अनुयायी रहे हैं। उन्होंने दावे के साथ कहा था कि इस देश की नदियों और नालों को अगर हम बांध देंगे तो ८५ प्रतिशत असिंचित भूमि सिंचित हो जाएगी। अभी तो नदियों का पानी समुद्र में बह जाता है।

दूसरे देशों के लोग जब भारत में प्रकृति द्वारा दी गयी नदियों और नालों को देखते हैं तो कहते हैं कि इस देश में गरीबी क्यों है? मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी सरकार नदियों और नालों को बांधने का संकल्प कर ले तो दुनिया के सारे देशों को अनाज देने की स्थिति में हिंदुस्तान हो जाएगा और हमारे देश की गरीबी भी दूर हो जाएगी। मैं यह बात आंकड़े देकर और प्रमाण देकर बता सकता हूं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार गंगा का मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन दुर्भाग्य से वहां सबसे कम उपज होती है। कारण यह है कि वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, उसको सिंचाई करने के निमित्त हम बना नहीं पाते हैं। गर्मी के दिनों में पीने के पानी की तबाही मच जाती है। हमने कई बार संकल्प किया है कि पेयजल की व्यवस्था हम सारे देश में कराएंगे। इसको हम आंदोलन की तरह लेते हैं लेकिन जब पानी आता है तो वह बहकर समुद्र में चला जाता है, उसको बांधकर हम नहीं रख पाते हैं, सिंचाई के लिए बांध नहीं पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की विभिषिका आती रहेगी, चाहे हमारी सरकार हो, रघुवंश प्रसाद की सरकार हो, मोहन सिंह की सरकार हो, ओम प्रकाश की सरकार हो, सोमनाथ जी की सरकार हो, बोडो लैंड की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। किसी की भी सरकार हो, हम एक बिंदू पर तो इकट्ठा हो जाएं। एक बार यह सदन संकल्प कर ले कि जितना पानी बेकार जाता है वह पेयजल के लिए होगा, किसानों के खेत की सिंचाई के लिए होगा तो हमेशा के लिए बाढ़ की चर्चा इस सदन में हम बंद कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Sir, I thank you for giving me an opportunity to give my views regarding the flood situation prevailing in our country. The two natural calamities, namely, flood and drought, have become very usual in our country and it has become the order of the House also to discuss these two issues during those seasons. It is quite dialectical to note that during the monsoon, we are having plenty of water and during the drought season, we are lacking water. So, it indicates that there is no proper management of water resources in our country.

There is also lack of planning. First of all, being a matter of common interest, I would like to say that our country needs a proper and better policy for water management. As far as the State of Kerala is concerned, there are 44 rivers in my State. We are well enriched with water resources. During the drought season, we are also

suffering due to drinking water problem. There is no proper management of water all over the country. That is to be rectified. A proper policy and mechanism has to be enunciated so as to resolve this problem.

Regarding lack of planning, I would like to cite some other examples. We are having so many irrigation projects in our State. Take the case of Kallada Irrigation Project. It was started a decade earlier. The total estimated cost in the Plan was Rs. 2.5 crore. After a decade, it has increased substantially. More than Rs. 550 crore have been expended. But it has not been completed and commissioned so far. We are depending on that sort of planning. Eight Five-Year Plans are over. Now, we are in the second year of the Ninth Five-Year Plan. So, there is lack of planning. It means that there is a difference of crores and crores of rupees towards the cost of a project between the time when it is started and when it is commissioned. We are not able to complete the project within a stipulated period. Suppose irrigation projects connected with these 44 rivers are to be completed, for Kallada Irrigation Project, Muvattupuzha Irrigation Project and Karapuzha Irrigation Project, we seek the Central assistance. I think, the State Government has so far expended Rs. 550 crore for the Kallada Irrigation Project. But you have granted only Rs. 5 crore towards Central assistance. So, I seek much more grant from the Central Government to complete these irrigation projects at the earliest. Then, these problems could be avoided.

Now, I come to the damages caused during the recent floods. Shri V.V. Raghavan from my State has already mentioned that 81 persons died and 206 persons have been seriously injured during the recent floods, and 1,232 houses have been completely damaged. Many persons are still in the relief camps. There is a lot of damage to the agricultural crops. Rubber plantation, paddy, coconut trees, etc., have been severely affected. So, we seek financial assistance to the extent of Rs. 500 crore. That has also been demanded by the State Government of Kerala. We hope to have a favourable response from the Minister of Agriculture.

Now, I would like to speak about sea erosion. In the State of Kerala, the coastal area is more than 750 kms. There is a very serious problem as far as my State is concerned. The Central Government has been financing and assisting for anti-sea erosion projects up to 1993. According to me, the sea shore in the State of Kerala is the national boundary of this country. So, it is the primary duty of the Government of India to protect the national boundary. Now, the national boundary is being taken away by sea erosion. I am representing Quilon constituency. From one end to another end, that is from Parvour to Azheekkal, it is coastal area. During the recent flood situation, there was much sea erosion. The State Government is spending a huge amount for construction of sea wall as well as for its maintenance. But we are not able to do this job up to the mark. Therefore, I seek financial assistance as far as the work relating to anti-sea erosion is concerned. It is to be restored to the position prevailing in 1993 because it is the duty of the Government of India to help the State to protect its boundary.

I would like to cite the example of Allapad panchayat in my constituency. It is having a population of 15,000 persons. The distance between the sea and that village is two to three metres. At any time, that village will be eroded by the sea. From one end to another, it is 18 kms in length and having a population of more than 15,000 people. Who will protect those people? The State Government is having its limitations to protect those people because of financial constraints. So, I urge upon the Government of India to consider this very important fact and assist the State Government.

Once again, I request you to extend more help to the State by financing out of the Calamity Relief Fund. It has already been stated by me. With these words, I conclude.

श्री अनूप लाल यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, हमारा श्रेत्र बाढ़ वाला है, कोसी नदी में बाढ़ आई है। हमें भी बोलना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, हम सोचते थे कि हमें बुलाया जायेगा ताकि हम यहां पर बोलने के बाद फोन पर बाढ़ में डूबे लोगों से बात कर सकते। इसलिये हम जल्दबाज़ी में थे।

श्री अनूप लाल यादव अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भी यही हालत है, इसलिये बार बार आग्रह है कि हमें चांस दिया जाये।

">

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, अचानक बाढ़ आती है, लोगों की जान चली जाती है, फसलो को पूरा बर्बाद कर देती हैं और जमीन पूरी खराब हो जाती है। यह चर्चा हमारे साथी श्री मोहन सिंह जी ने नियम १९३ में प्रारम्भ की है।

अध्यक्ष जी, बाढ़ हर साल आती है जिसको रोकने के लिये यहां खाली चर्चा होती है। फसलों और जानें बचाने के लिये हम असफल हुये हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि इसके लिये एक फ्लड स्टडी कंट्रोल कारपोरेशन बनाना चाहिये। जहां भी बाढ़ आती है, वहां स्टडी होनी चाहिये। जैसाकि श्री मोहन सिंह ने बताया कि नदियां टेढ़ी चलती हैं। जैसे इस सरकार को सीधा करना मुश्किल है, उसी प्रकार नदियों को सीधा करना मुश्किल है। इसके लिये नदियों की खुदाई होनी चाहिये। नदियों की खुदाई करने से उसमें ज्यादा पानी आ सकता है। उन नदियों पर डैम बनाये जा सकते हैं। इस तरह का प्रयोग फायदे में रहेगा। जहां- जहां बाढ़ आने का अंदेशा हो, वहां इंजीनियर्स और टैक्नीशियन्स द्वारा लोगों को बताया जाना चाहिये कि यहां बाढ़ आने वाली है। जहां बाढ़ आती हो, वहां पर मजबूत वाल बनाई जानी चाहिये। नदियों के किनारे जहां- जहां गांव हैं, गांव वालों को उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कृष्णा, गोदावरी, भीमा, चन्द्रभागा और ताप्ती नदियों में कभी-कभी बाढ़ आती है। चूंकि यह नई सरकार है, नई होने पर कुछ काम करना चाहती है, इसलिये बाढ़ को रोकने के लिये सरकार को कुछ सोचना चाहिये। जब यह सरकार विरोध पक्ष में थी तो बड़ी बातें किया करते थे। अब देखना है इस सरकार में कितना दम है? बाढ़ आने पर जिन लोगों को हानि उठानी पड़ रही है, फसलों का नुकसान हो रहा है, उसके लिये यह सरकार क्या करने वाली है? आपको इस संबंध मे स्टडी करने की आवश्यकता है। कभी-कभी सदन में सूखे पर चर्चा होती है। यदि हम बाढ़ के पानी को रोक कर सूखे वाले स्थान पर ले जायें तो कुछ हल निकल सकता है। इससे सूखा खत्म हो जायेगा। इसी तरह इरिगेशन के लिये भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना चाहिये।

आप विश्व बैंक से पैसा लें या कहीं और से लें लेकिन इर्रीगेशन को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। रिलीफ के लिए भी, रूल्स और रेगुलेशन्स को बदलकर ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। इसलिए मोहन सिंह जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, भारत सरकार के कृषि मंत्री सोमपाल जी ज़रूर इस पर विचार करें। वह किसान भी हैं और उनको अनुभव भी है। इसलिए सोमपाल जी से निवेदन है कि आप अच्छा उत्तर दें और जो ट्रेडीशनल प्लान है, वह हमें नहीं चाहिए। इसमें कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। उसके लिए आप अच्छा रिप्लाइ दीजिए।

">

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, मोहन सिंह जी और मिश्रा जी ने जो चर्चा प्रारंभ की है, वह बड़े महत्व की है। आज सारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो बाढ़ से तबाह हो रहे हैं लेकिन देश के कुछ भूभाग ऐसे भी हैं जो वर्ष के लगभग सात महीने पानी के अभाव में संकटग्रस्त रहते हैं। वर्षा का सारा पानी नदी-नालों से और खेतों से बहकर नदियों के सहारे अन्य क्षेत्रों में चला जाता है और वहां बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। उत्तर प्रदेश के सात और मध्य प्रदेश के ११ जनपद मिलाकर कुल १७ जनपद ऐसे हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। वहां की स्थिति बड़ी भयंकर बन चुकी है। बरसात का पानी न रुकने के कारण उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है और उसका सारा पानी आज बिहार और उत्तर प्रदेश का जो प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ के रूप में वहां समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर एक बैठक करके यह योजना बनाई थी कि गांवों का पानी गांवों मे ही बांधा जाए भूमि संरक्षण द्वारा और गंगा कमांड के द्वारा, लेकिन योजना सफल न होने के कारण आज हम गांव के पानी को गांव में नहीं बांध सके। इसका नतीजा यह निकला कि आज कुओं का पानी प्रतिदिन नीचे चला जा रहा है। बरसात में जो पानी इकट्ठा होना चाहिए जिससे कि उपजाऊ ज़मीन बहकर न जाए, लेकिन सारी भूमि बंजर होती जा रही है क्योंकि पानी के ठहराव की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वीरेन्द्र सिंह जी का जो सुझाव आया है, सदन को उसे मानना चाहिए। सारा सदन एक अध्ययन दल बनाने की घोषणा करे और वह रिपोर्ट दे कि एक जगह तो हम बाढ़ से तबाह हैं और दूसरी जगह पानी न होने के कारण हम सूखे से ग्रस्त हैं, हम पीने के पानी के लिए तरसते हैं, हमारे खेतों में सिंचाई का पानी नहीं है। आज १७ जिलों में १३ प्रतिशत सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। कुंओं में पानी नहीं हैं, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है और यही पानी बहकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जाता है और वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। अजीब सी स्थिति बनी हुई है। भूमि संरक्षण विभाग और गंगा कमांड को करोड़ों रुपया इतने वर्षों से दिया गया लेकिन गांव के पानी को हम गांवों में नहीं रोक सके, खेत के पानी को खेतों में नहीं रोक सके और सारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली गई। जो नदियां गहरी थीं, उपजाऊ मिट्टी बहकर आने से उनका भराव हो गया है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के जो मुख्य कारण हैं, बाढ़ का कारण तभी पैदा होता है जब नदियों द्वारा पानी बहकर दूसरे स्थानों में पहुंच जाता है।

19.00 hrs.

नदियों में वह पानी बेकार न जाए, उस पानी को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक अध्ययन दल की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं जहां वर्ष के आठ महीने हम पानी के लिए तरसते हैं। हमारे कुओं का पानी सूख जाता है। हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है और बिहार में जाकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। इसलिए मैं आपसे एक अध्ययन दल गठित करने की मांग करता हूं और वह अध्ययन दल छः महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। गांवों में बरसात का पानी कैसे रोका जाए, ताकि वह बाढ़ का रूप न ले सके और वही पानी हम खेतों में सिंचाई के लिए कैसे दे सकते हैं, वही पानी हमारी प्यास बुझा सके, इसकी व्यवस्था की जाए। हम लोग अपने क्षेत्र में गंदे नालों के पानी और सड़े हुए पानी से सात महीने गुजारते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के १८ जनपदों का पानी छानने के बाद भी बदबूदार रहता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। हमारे यहां से बरसात का सारा पानी बहकर गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पानी को बांधा जाए तो गंगाजी में बाढ़ कभी नहीं आ सकती है। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि बुंदेलखंड क्षेत्र के १८ जनपदों का पानी बुंदेलखंड में ही रोक दिया जाए तो गंगाजी के पानी से कहीं भी बाढ़ नहीं आ सकती है। गंगाजी में आज जो बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण यह है कि बुंदेलखंड के १८ जनपदों का संपूर्ण पानी बहकर बेतवा आदि नदियों में जाता है और वह पानी बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज बुंदेलखंड के १८ जनपदों के पानी को बांधने की आप योजना बनायें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बाढ़ों को रोका जा सके और बुंदेलखंड में सिंचाई ओर पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और सदन के सभी सम्मानित सदस्य सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करें कि एक अध्ययन दल गठित किया जाए जो बाढ़ों को भी रोके और बाढ़ के पानी को हम लोगों के उपयोग के लिए दे सके, खेतों में सिंचाई के लिए दे सके, इसकी व्यवस्था कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. SPEAKER: There are only six Members more to speak. If each Member takes two minutes, we can complete the list today.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष जी, बाढ़ का बहुत गंभीर सवाल है, हमारे मंत्री जी संवेदनशील है, आधा घंटे का समय बढ़ाने में नहीं हिचकेंगे। ... (व्यवधान)

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): Sir, you either extend the sitting by one hour or adjourn it for the day. Half an hour will not suffice.

SHRI K.S. RAO (MACHILIPATNAM): Sir, we can continue with this tomorrow.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष जी, आधा घंटा बढ़ा दीजिए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): मुझे कोई एतराज नहीं है।

MR. SPEAKER: We can complete this in half an hour. Is it the pleasure of the House that the sitting be extended by half an hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: The sitting is extended till 7.30 p.m.

">SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Speaker, Sir, and the learned Members of the House, I would like to draw your pointed attention to the highly sensitive and alarming flood situation which is prevailing in Assam, particularly in Bodoland territory. The Bodoland territory consists of ten Districts and two Sub-Divisions in total. In these ten Districts and two Sub-Divisions, there are a lot of big and small rivers and tributaries. These rivers and tributaries are main causes of the flood situation there in the Bodoland territory. Most of these rivers and tributaries are flowing down from the Bhutan kingdom and Arunachal Pradesh into the river Brahmaputra. There is a Brahmaputra Flood Control Board, The amount of money being given by the Government of India for controlling floods in the area is negligible. Out of that, adequate money is not being spent for controlling rivers and tributaries flowing down from Bhutan and Arunachal Pradesh. That is why, I would like to appeal to the Government of India and particularly to the Union Water Resources Ministry to construct some multi-purpose irrigation projects, some multi-purpose hydel projects on those rivers. At least Rs.1000 crore must be sanctioned as a direct Central grant for controlling floods and erosion within the Bodoland territory.

I would like to appeal to the Government of India, the Ministry of Water Resources, and the Ministry of Agriculture to create a separate Bodoland Territorial Flood Control Board. Otherwise, we will not get justice from the existing Brahmaputra Flood Control Board. Even the North-East Council Fund is not being utilised for the well-being of this area. So, I would like to appeal to the Government of India to include all the North-Eastern MPs, as Members of the North-Eastern Council.

Further, I would like to appeal to the Government of India, the Ministry of Water Resources and the Ministry of Agriculture to allocate at least another Rs.500 crore for relief and rehabilitation of the affected people. Recently, particularly in two regions, namely, Bijni Sub-Division and Sidli Assembly Constituency, there was a very dangerous flood. More than 75 villages have been affected in Bijni Sub-Division and around 50 villages in Sidli Revenue Circle.

I think, you know about the multiple tragedy of the then undivided Lakhimpur district because of the dangerous character of the river Gai. This has totally damaged all the railway bridges, railway over-bridges and railway lines and bridges over the National Highway. Till today, the Ministry of Railways the National Highway Authority could not reconstruct them.

">

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष जी, हमने रिक्वैस्ट कर के डेढ़ घंटा बढ़वाएया है और आप हमको ही दो मिनट का समय दे रहे हैं। हमें तो कम से कम १० मिनिट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष जी, आज इस सदन में माननीय श्री मोहन सिंह जी द्वारा नियम १९३ के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है, वह काफी महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज पूरा सदन चिन्तित है। हम लोग आज इस सदन में बाढ़ के ऊपर चिन्ता जता रहे हैं। जहां बाढ़ आई है वहां के लोग आज इस बाढ़ की विभीषिका से परेशान हैं और ये वे लोग हैं जिनके खून और पसीने की कमाई से पूरा देश भोजन करता है और चैन से सोता है। आज बाढ़ से प्रभावित दिल्ली, चेन्नै या पटना शहर नहीं है। बाढ़ से प्रभावित वह गांव है जिसमें किसान और मजदूर रहते हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जो प्रति वर्ष इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

जो प्रतिवर्ष प्रभावित होता है, उसे हम प्राकृतिक विपदा का नाम नहीं दे सकते हैं। कहीं अचानक बाढ़ का प्रभाव आये तो हम समझ सकते हैं कि यह प्राकृतिक विपदा है लेकिन हमारे बिहार में एक जाति है जो अपने ईष्ट से प्रार्थना करता है, उस जाति का नाम महापात्र है, जब लोग मर जाते हैं तो दस कर्म के दिन उसे दान मिलता है। उसी तरह सिंचाई विभाग के पदाधिकारी अपने ईष्ट, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बांध कैसे टूटे ताकि फिर कम से कम बोल्डर गिराने के नाम पर, जाली बिछाने के नाम पर और बिना दिखाये बोरियों में बालू भर-भरकर फेंकने के नाम पर हमारी अटारी बढ़ सके। इसलिए कुछ जगह बाढ़ मानव की गलती से आती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बांध के रख-रखाव के अभाव में कहीं-कहीं बांध टूट जाता है। चूहा कभी बांध के भीतर छेद कर देता है जिसके कारण पानी रिसता रहता है और पानी के रिसने के कारण कहीं न कहीं बांध टूटता है। इस तरह की घटना गोपालगंज के बैंकुठपुर थाने में घटी है जहां बांध टूटा था लेकिन नारायणी नदी की कृपा से मात्र चार घंटे के बाद डेढ़ फुट पानी कम हो गया, नहीं तो छपरा और सिवान जिले की स्थिति भयंकर होती। हमारे गांव में पड़ने वाले मसरक विधान सभा क्षेत्र का पानापुर प्रखंड फिर जलमग्न हो चुका है, हमारा एक ऐसा भी क्षेत्र है जो बाढ़ और बरसात के दिनों में बराबर जलमग्न रहता है। जिस स्थान पर श्री जय प्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, उस गांव का नाम शताब्दियर है। श्री जय प्रकाश नारायण के नाम पर बहुत से राजनीतिक दल अपनी रोजी-रोटी चलाने का काम करते हैं।

हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज उस गांव की स्थिति देखें तो वह अजीब दिखाई देगी। वह गंगा और गुहारी के संगम पर बसा हुआ २२ टोलों का गांव है। २२ टोलों में से ६ टोले पानी के कटाव में विलीन हो चुके हैं और अब १६ टोले बचे हुए हैं। बिहार सरकार की तरफ से उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है क्योंकि वह दरियाव के उस पार पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसे कोई सुविधा नहीं देती। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि वे लोग बिहार के निवासी हैं। लेकिन श्री जय प्रकाश नारायण के जन्म के विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार यह जरूर कहती है कि श्री जय प्रकाश नारायण उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पैदा हुए थे। बिहार सरकार कहती है कि श्री जय प्रकाश नारायण शताब्दियर, जो कि बिहार के छपरा जिले में पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार इस विवाद से राजनीतिक लाभ उठाने का काम करती है लेकिन शताब्दियर गांव की सुधि लेने के लिए कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि वहां न तो बांध से उतरने के लिए जगह है और न ही बिजली की कोई सुविधा है। बाढ़ के दिनों में २२ टोलों का गांव जलमग्न हो जाता है। वहां स्थायी व्यवस्था करने की जरूरत है।

सभापति जी, मंत्री जी यहां मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप श्री जय प्रकाश नारायण के उस गांव को देखिये। वहां आप एक सर्वेक्षण दल को भेजिये। उसके ६ टोले जलमग्न हो चुके हैं। अभी १६ टोले बचे हुए हैं। अगर यह १६ टोले भी विलीन हो जायेंगे तो श्री जय प्रकाश नारायण बाबू की धरती भी विलीन हो जायेगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप वहां देखिये। वहां आपका खर्चा तो लगेगा लेकिन उस गांव को बचाने का काम आप कीजिए। आप तार की जाली और बोल्डर बिछवाकर १६ टोले के गांव को बचाने का काम कीजिए। इसके लिए केन्द्र सरकार की बड़ी कृपा होगी क्योंकि यह बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बस की बात नहीं है।

दूसरी बात हम विषय से कुछ अलग हटकर कहना चाहते हैं क्योंकि मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी आपकी सरकार है और हम भी आपके गठबंधन के सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि चूंकि बिहार सरकार की तरफ से वहां कोई राहत कार्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश सरकार को कहिये कि वहां राहत कार्य उपलब्ध कराये। बिजली का एक भी पोल वहां गढ़ा हुआ नहीं है, जबकि बॉर्डर के बीच में बांध है। इस पार भी शाताब्दियर है और उस पार भी शताब्दियर है। इस पार और उस पार के बांध पर पोल गड़ा हुआ है लेकिन बांध के नीचे कोई लाइन नहीं है। वहां लोग पैसा जमा कराने को भी तैयार हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार को कहिये कि श्री जय प्रकाश नारायण की जन्म धरती में बिजली की लाइन दे। इसके लिए आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके लिए जो खर्चा होगा, वह उत्तर प्रदेश सरकार को दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि आपका हुक्म है और एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह हम आपका हुक्म मानते रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें श्री जय प्रकाश नारायण के विषय में मंत्री जी से कहने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

">

श्री ओमप्रकाश (गाज़ीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ आज देश की गंभीर समस्या है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश की आजादी के पचास साल बाद भी इस समस्या को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। जैसा हमारे पूर्व साथियों ने कहा, यदि संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो उस कार्य को ईमानदारी से किया जा सकता है। लेकिन ईमानदारी न होने की वजह से यह समस्या आज भी विकराल रूप में है। इसलिए कह सकते हैं कि यह देश की राष्ट्रीय समस्या के रूप में विद्यमान है। हमारे पूर्व साथियों ने इस बात को ठीक से बताया कि बाढ़ के नाम पर, अन्य जगह तो भ्रष्टाचार है, लेकिन दैविक आपदा के नाम पर भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा जो राहत कार्य किया जाता है, बाढ़ डिवीजन, सिंचाई विभाग में जो फ्लड डिवीजन है, कमाऊ पूत के रूप में प्रदेश सरकारों में उनकी पोस्टिंग होती है। वहां पर काम करने वाले लोग लाखों रुपये देकर अपनी नियुक्ति कराते हैं। यह कार्य उस समय शुरु होता है जब वहां बाढ़ आ जाती है। हम गाजीपुर जनपद से आते हैं। वहां ८० प्रतिशत विधान सभा क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित थी। जैसा भाई वीरेन्द्र सिंह जी ने बताया, पटेल आयोग के साथ-साथ ईमानदारी से बाढ़ के बारे में प्लानिंग बना ली जाए और एक-एक सैक्टर चुनकर पैकेज के रूप में इस समस्या के समाधान का तरीका खोजा जाए। ऐसा नहीं है कि इस ससस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक जनपद में ऐसी कई नदियां हैं जिनमें एक समय बाढ़ नहीं आती। अभी भाई मोहन सिंह जी के यहां जो बाढ़ आई है,

हमें लगता है कि जुलाई में जल्दी आ गई है, असली बाढ़ तो सितम्बर में आएगी। वह बाढ़ तांडव का रूप धारण कर लेती है। उन गांवों में जाने के बाद लगता ही नहीं कि हम इस देश के वासी हैं। बाढ़ से सबसे अधिक तंगी गांव के गरीब आदमी और किसान, जो इस देश की आत्मा है, देश की पंचायत में ८०-८५ प्रतिशत लोग वहीं से जीतकर आते हैं, काफी मर्माहत हैं। उनके लिए लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, खाने, पीने और सोने की व्यवस्था नहीं है, वे एक पैर पर खड़े होकर किसी तरह रात बिताते हैं। वहां सांप और बिच्छू का प्रकोप भी होता है। वे गरीब लोग, जिनकी मासिक आय, सरकार ६००-७०० रुपये कहती है, लेकिन हमको लगता है कि १००-२०० रुपये भी नहीं है। वे कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, रात को भूखे रह जाएंगे।

माननीय मंत्री जी को हम बहुत पहले से जानते हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि आप राज्य सरकारों को जो पैसा देते हैं, देश की पंचायत में सौ प्रतिशत न मानें लेकिन १०-२० भले लोग जरूर होंगे, उनकी कमेटी बनाएं जिससे दैवी आपदा के रूप में लूटने और खसोटने का जो धंधा इस देश में चल चुका है, उसकी कोई न कोई रेखा तय की जा सके

... (व्यवधान)

आज बाढ़ का प्रकोप है, यह सितम्बर में फिर आने वाला है। हम प्रदेश में रहे हैं, कोई ऐसा समय नहीं रहा जिस साल बाढ़ न आई हो और दो-चार लोग न मरे हों।

और दो-चार लोग न मरे हों। मेरे कहने का मतलब है कि इसको गम्भीरता से लेकर सदन की एक कमेटी बनाकर और एक टैक्नीकल कमेटी बनाकर हम माननीय मंत्री जी से आपके माद्यम से जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि गांव को और जिसे इस देश की आत्मा करते हैं, माननीय मंत्री जी भी कहीं न कहीं किसान परिवार से ही आते हैं, किसानों की जो माली हालत है, आजादी के ५० सालों के बाद आज किसान कहां पहुंच गया है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ ऐसी भी जमीन हैं, जिनके ऊपर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं, जिनके पास दो बीघा जमीन है, जिससे वे साल भर की पूरी जीविका पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से बेचारे उस कगार पर हैं, जहां उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम आपसे जरूर इस बात का निवेदन करेंगे कि यह बहुत गम्भीर समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या को हमें मिल बैठकर जरूर चिन्तन-मंथन करने की जरूरत है।

">

श्री अनूप लाल यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, चूंकि आपने मुझे आखिरी वक्त में पुकारा है। बाढ़ पर चर्चा हो रही है, माननीय मोहन सिंह जी ने इस प्रस्ताव को लाकर और आपने उसकी स्वीकृति देकर चर्चा करने का मौका दिया।

मेरी चिन्ता को आप तभी से देखते होंगे, मैं भी बिल्कुल एक संयमित सदस्य हूं। मैं राजो बाबू की तरह ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं ३० साल से था। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की आधी आबादी कोसी में पड़ती है। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कोसी कंट्रोल के लिए नेपाल से जो बाढ़ आती थी, वह बाढ़ की विभीषिका ऐसी थी, जिसका अगर मैं वर्णन करूं तो शायद आपका हृदय भी बिल्कुल पिघल जायेगा और बिल्कुल दर्दनाक हालत हो जायेगी। वहां पूरब से लेकर बंगाल के नजदीक तक बहा करती थी, अभी दरभंगा और सहरसा की सीमा में बह रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब इस देश को आजादी मिली और उन्होंने भारत सरकार की बागडोर संभाली तो पहला काम उन्होंने यह किया कि कोसी को कण्ट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दोनों तरफ तटबन्ध बनाया। नेपाल की सीमा में ही जब सर्वेक्षण हुआ तो उसका एक बैराज बनाया गया और बैराज बनाकर दोनों तरफ १३ किलोमीटर की दूरी में पूरब और पश्चिम में यह १३ किलोमीटर की दूरी है, उसकी लम्बाई ६० किलोमीटर है, उस तटबन्ध का निर्माण कराया गया और कोसी को उसके बीचों-बीच निकाला गया। वह फ्लड कंट्रोल कहलाया। उसकी स्कीम भारत सरकार के द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार का पूरा खर्चा उस नियंत्रण में लगा, कोसी को कण्ट्रोल करने में लगा। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि करीब ४.५ लाख आबादी उस कोसी तटबन्ध के दोनों तरफ रहती है, आधी आबादी सहरसा क्षेश्र की है। उसकी दशा कष्ट के बारे में चर्चा करूं तो आपको आश्चर्य होगा कि उस तटबन्ध के अन्दर आदमी कैसे रहते हैं, उनकी हालत क्या हो रही है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू अब नहीं हैं, लेकिन उनका भाषण है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, उन्होंने कहा था कि हमेशा भारत सरकार इस तटबन्ध को बचाने के लिए और बीच के गांवों को बसाने के लिए इन्तजाम करेगी, इसकी व्यवस्था करेगी, लेकिन आज कोसी तटबन्ध का जो वैड है, उसका जो पेट है, वह बालू से बिल्कुल भर गया है। उसमें सिल्टेशन की, बालू की बहुत बड़ी प्राब्लम है।

... (व्यवधान)

हमको थोड़ा समय दीजिए। चूंकि वहां की जनता क्या करेगी, माननीय सोमपाल जी, मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं अखबार वाले कुछ छाप देंगे तो हमारी जनता तो जरूर कहेगी कि हमारे लिए कुछ तो बोल दिया है, इसीलिए मुझे समय दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी से, सोमपाल जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि भारत सरकार की यह स्कीम है और जब बालू से उसकी तलहटी बिल्कुल भर गई है, इसलिए आज जब कोसी आती है तो छितराकर दूसरी जगह दोनों तरफ बहती है और हम लोगों को भी जो कोसी के एम्बैंकमेंट के बाहर आते हैं, उसको भी बिल्कुल इफैक्ट कर जाता है, बहुत नुकसान करती है। अभी वहां बहुत बड़ी बाढ़ आई है, मैं इसी १८ तारीख को अपने यहां गया था। वहां तीन गांव बिल्कुल कट कर बांध के ऊपर चला गया हैं।

कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसे पोलीथीन देने वाला नहीं है, कोई दियासलाई देने वाला नहीं है। राशन का जहां तक सवाल है, जो बिहार सरकार देती है, अभी राजो बाबू ने ठीक ही कहा कि सड़ा हुआ गेहूं दिया जाता है, जिसे जनता खा नहीं सकती। मैं सोमपाल जी से बार-बार आग्रह करता हूं कि आप उसको देखिए, उसके दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में कैनाल निकाली गई है, जिससे बहुत ज्यादा इरीगेशन होता है, लेकिन बालू से वह इतनी भर गई है कि दोनों कैनाल टूट गई हैं। इससे वहां की जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि हानि हो रही है। भारत सरकार के मंत्री वहां जाकर तीन-चार लाख की आबादी को देखें। भारत

सरकार और नेपाल सरकार में बालू को छानने के लिए एक कोठार डैम बनाने का समझौता हुआ है, जो कि तीन वर्ष में बनना है। वहां की जनता की मांग है कि इसको पूरा किया जाए। अगर यह डैम बन जाता है तो निश्चितरूप से सिल्टिंग की प्राब्लम दूर हो जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए, आपके पास हवाई जहाज है, वहां जाएं और देखें कि लोगों की हालत क्या है। आप कहते हैं कि बिहार सरकार से प्रपोजल भिजवा दें कि बालू को साफ करके तटबंध बनाया जाए, वह कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, भारत सरकार को देखना चाहिए।

">SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): Mr. Speaker, Sir, I thank you for the opportunity given to me to participate in the discussion.

The last wave of flood in Assam has been the most devastating in the living memory of us; almost all the districts like Kamrup, Nalbari, Lakhimpur, Sonitpur and Barrak Valley are the worst affected. In my area, of Kamrup and Nalbari districts, the embankments of the Puthimari river have been breached at Sonapur and affected at least ten to twelve villages, and the embankments of Pagladia river have been breached at Havlakha and Hanapara. The entire Barbhag and Mukalmua areas of Nalbari district, and Hajo area of Kamrup district have been affected. At least 69 persons have died, 2,650 villages have been submerged and more than 12,000 people have lost their homes. Almost the entire area of Assam and almost the entire population of Assam are reeling under flood and they are in a very sorrowful condition. Floods in Assam have become an annual ritual, but this year the losses have surpassed the previous years. The losses came to about Rs. 500 crore and the affected villages, as I have said, are nearly 3,000 now. We have never gone through this type of situation in our living memory. However, up-till now, very little has been done for the affected people. So far, no relief has been provided to the people, leave apart the rehabilitation part. People are living in open air, dying without food. They are suffering from different diseases.

I am happy that the Central Government is considering to send a team to Assam, which can be a short-term measure. A Central team should immediately visit Assam, assess the losses and see to it that the relief reaches there and the rehabilitation measures are taken at the earliest.

Another short-term measure that can be taken by the Central Government is to release immediate fund to the State Government so that it goes to the affected people and they are helped.

Lots of points have been suggested as permanent and long-term measures. Shri Mohan Singh has drawn the attention of the hon. Minister to the river Brahmaputra. Although it is a beautiful river, yet it is a River of Sorrow for the people of Assam. It originates in China where it is known as Tsang Po. Like the river Wang Ho in China, which is known as the River of Sorrow, river Brahmaputra has become a River of Sorrw for the people of Assam. Until and unless this river Brahmaputra is controlled, until and unless it gets priority, the problem of floods in the North-Eastern region can never be solved. For that, the Brahmaputra Board has been constituted but it did not have the desired effect which the people expected from this Board. Until and unless the tributaries of the river Brahmaputra are controlled, Brahmaputra cannot be controlled. I request the hon. Minister and the Central Government to take immediate measures in this regard. I know, controlling Brahmaputra is not an easy task. It needs large funds of thousands of crores of rupees. But if we are spending thousands of crores of rupees on other schemes, why can we not spend another thousands of crores of rupees on this also, even by taking loan from the World Bank, and save that part of the country, save the people of that part of the country from this natural calamity? I request the hon. Minister to consider it as a national problem and solve it. Thank you, Sir.

MR. SPEAKER: Now the hon. Minister.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no time left now.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Actually two hours had been allotted for this and already we have taken three-and-a-half hours. Please try to understand.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Minister has to reply now. You can speak on some other subject. Please cooperate. It is already 7.30 PM. Okay, only one minute each.

... (Interruptions)

">

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार): अध्यक्ष महोदय, सदन में बाढ़ की विभीषिका पर गम्भीरता से चर्चा हो रही है। हर साल बाढ़ें आती हैं और इस सदन में उस पर गम्भीरता से चर्चा होती है। जब भीबाढ़ आती है, उस समय चर्चा होती है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब बाढ़ नहीं भी आए, उस समय भी जो उसके लिए आयोग बने हुए हैं, वे इस पर गम्भीरता से विचार करें कि कैसे बाढ़ को न आने दिया जाए। सदन में नदियों की गहराई को बढ़ाने के लिए भी चर्चा हो रही है। मैं सरकार का ध्यान बिहार राज्य की ओर दिलाना चाहता हूं, बिहार राज्य में बालू की कीमत बढ़ा दी गई है और बालू आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है।

नदियों से बालू निकालना आम आदमी के लिए मुश्किल है। मैं सरकार से मांग करता हूं, आज प्रति ट्रक २०० रुपए बिहार में नदी के बालू की कीमत है, जिसे आम आदमी नहीं ले सकता।

... (व्यवधान)

अधिकारी कभी नहीं चाहते कि बाढ़ न आए, क्योंकि बाढ़ कहीं आम आदमी के लिए अभिशाप है तो अधिकारियों के लिए वह वरदान के रूप में भी आती है। आम आदमी तबाह होता है और अधिकारियों की इमारतें बाढ़ के जरिए बनती हैं।

">

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं कि इस ज्वलंत समस्या पर, माननीय मोहन सिंह जी द्वारा रखी गई जो बाढ़ की समस्या है उस पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। हिन्दुस्तान तीन ऋतुओं का देश है- जाड़ा, बरसात और गर्मी। जब बरसात आती है तो जो पहाड़ और नदियां हिन्दुस्तान की हैं उन पहाड़ों की झीलों से और नदियों में पानी आ जाने से मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से पानी बढ़ता है उससे हमारे किसान, गरीब और हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं और हम इस ५० साल की आजादी में कोई ऐसी योजना नहीं बना सकें कि हम इस बाढ़ के पानी को रोक कर सिंचाई की व्यवस्था करें या बाढ़ से लोगों को बचा सकें, यही इस देश का दुर्भाग्य है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं।

महोदय, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने आपके सामने अपनी बातों को रखा है। हम जिस जनपद जौनपुर से चुन कर आते हैं उस नगर को गोमती नदी दो भागों में बांटती है और उस गोमती नदी की बाढ़ से शहर के दोनों हिस्से जिस तरीके से प्रभावित होते हैं और लोग जिस तरीके से तबाही के कगार पर जाते हैं, इसके लिए प्रत्येक वर्ष योजनाएं बनती हैं। मई और जून में हमारे अधिकारीगण राज्य सरकारों से, देश की सरकारों से मिलें और बात की कि बाढ़ को रोका जाए। फ्लड की मीटिंगें होती हैं, हम जनप्रतिनिधि भी उस मीटिंग में जाया करते हैं लेकिन आज तक कोई स्थायी योजना नहीं बन सकी और हम उसी चपेट में फंसते हैं। ५० साल की आजादी के बाद भी बाढ़ और सूखे की चपेट से किसानों की दुर्गति हो रही है, गरीब की हो रही है। यह सही है कि ये बड़े लोग कुछ इस तरीके से जीवनयापन कर रहे हैं जो वहां लौट कर देखते नहीं हैं।

महोदय, हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि गोमती नदी, जो जौनपुर को दो भागों में बांटती है और बाढ़ के कारण शहर का आवागमन कट जाता है, वहां प्रदूषण के नाम पर गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा प्रदूषण योजना के तहत आठ करोड़ रुपया दिया गया लेकिन आज तक उस प्रदूषण के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक योजना के लिए पूर्व की सरकार ने कहा था कि नगर के सम्पर्क बाढ़ में न कटें, इसके लिए एक पुल का निर्माण कराया जाए लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जनपद जौनपुर की गोमती नदी के ऊपर जो पुल के निर्माण की योजना थी उसका निर्माण कराया जाए और बाढ़ की विभीषिका से बचाया जाए। हमारा क्षेत्र गोमती, सई, बरूड़ा और बसुही नदी से बाढ़ की चपेट में

है तथा हजारों एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है, किसान प्रभावित होता है। मेरा अनुरोध है कि वहां कोई स्थाई व्यवस्था दी जाए, जिससे बाढ़ से बचाया जा सके। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र खगड़िया है और यह मध्य बिहार में पड़ता है। बिहार में बाढ़ आने के क्या कारण हैं, इस पर आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश में पानी की दिक्कत होती है तो यह दूसरी जगहों से सिंचाई के लिए पानी ले लेते हैं और जब बाढ़ का समय आता है तो ये पूरा पानी छोड़ देते हैं, चूंकि बिहार से होकर सारी नदियां गुजरती हैं तो ये सारे बिहार को बरबाद करते हुए समुद्र में चली जाती हैं।

उत्तर में हिमालय पर्वत है। आप जानते हैं कि अभी जो समुद्री तुफान में बर्बादी हुई तो भारत सरकार ने उसका डटकर मुकाबला किया और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। जहां उत्तरी हिस्से में हिमालय इस देश की रक्षा करता है, वहां उससे नुकसान भी होता है। वहां पानी काफी पड़ता है और वहां से पानी बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आता है और वहां से फिर बाढ़ का रूप लेकर उत्तरी बिहार के भाग को बर्बाद करता है। यह एक साल की स्थिति नहीं है बल्कि हर साल की स्थिति है। चाहे कांग्रेस ने ४० साल तक शासन किया या फिर संयुक्त मोर्चा ने शासन किया या किसी और ने और वहां के सिंचाई मंत्री होते हुए भी उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि नेपाल की तरफ से जो पानी आता है उसको कैसे रोका जाए? ... (व्यवधान) नतीजा यह है कि सातों नदियां चाहे गंगा हो, घाघरा हो, कोसी हो, बूढ़ी गंडक हो, ये हमारे ही क्षेत्र में होकर जाती हैं और हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट करके चली जाती हैं। जो कोसी नदी है इसको ऊपर भी गंगा में मिला सकते हैं जो ये नीचे जाकर मिलाते हैं। अगर ऊपर ही खगड़िया के पास मिला दें तो नीचे के इलाके को यह बर्बाद न करे। परी हिस्से में मिला सकते हैं। लेकिन अभी वे अपने-अपने इलाके में वेग से जाती हैं और कहीं भी आप फ्लड को रोक नहीं सकते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जहां दक्षिण बिहार में कभी बाढ़ नहीं आती थी इस बार १४ दिन की भारी वर्षा के कारण भागलपुर, मुंगेर, बांका जिला पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। वहां हजारों घर बाढ़ के कारण डूबे हुए हैं। ... (व्यवधान) हम आपके माध्यम से केवल

">

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, हर वर्ष बाढ़ आती है और इस सदन में और विधान सभा में भी बाढ़ के बारे में चर्चा होती है लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाता। बाढ़ के बारे में दो-तीन मोटी-मोटी समस्याएं हैं। पहली तो यह है कि बाढ़ को कैसे रोका जाए? जहां इम्बैंकमेंट हैं उनको कैसे प्रौटेक्ट किया जाए। जहां तटबंध नहीं हैं वहां नये तटबंधों का निर्माण किया जाए और अगर बाढ़ आ गयी तो बाढ़ के बाद रिलीफ के काम को सुचारू रूप से चलाया जाए।

मैं उत्तर बिहार के मधुबनी क्षेत्र से आता हूं। वहां मुख्य रूप से बूथी-बालान, कमला-बालान और अधवारा समूह की नदियों से बाढ़ आती है। मंत्री जी मैं अपनी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह जल संसाधन मंत्रालय की बात है। अधवारा समूह की नदियों के दोनों तरफ तटबंध बनाने की योजना काफी दिनों से यहां लम्बित है। वर्ष १९८९ में इसका शिलान्यास भी हुआ था। अधवारा समूह की नदियां नेपाल से निकलकर बिहार में आती हैं। उन पर तटबंध बनाने के लिए शिलान्यास भी १९८९ में हुआ था लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ सका। सेंट्रल वाटर कमीशन में वह काम रुका हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल संसाधन विभाग से कह कर रुके हुए काम को शुरू करायें। भारत सरकार ने नेपाल में बैराज बनाए हैं लेकिन बाढ़ के समय नेपाल सरकार का व्यवहार भारत सरकार के अधिकारियों के साथ अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार नेपाल सरकार से इस पर बात करे कि बाढ़ के समय जो सहूलियतें होनी चाहिए वह मुहैय्या कराई जाएं।

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। आप रिलीफ कोड बदलिए। रिलीफ कोड में यह बात है कि अगर किसी के घर में पानी आ गया, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। जो विस्थापित होंगे, उनको रिलीफ मिलेगा। यह बात नहीं होनी चाहिए। जिस के घर में पानी आ गया, वह भी विस्थापित के समान होता है। उसे भी रिलीफ मिलना चाहिए। आप बाढ़ से प्रभावित लोगों की पीड़ा को समझिए। हमारे यहां के लोग बाढ़ के समय कई पीड़ाएं सहते हैं। जो पिछड़े हैं, किसी वजह से दबे हैं, उनकी मदद की जाए। जो यहां से सामान जाता है, वह सामान ठीक हो और वह उन तक पहुंचना चाहिए। जहां एम्बैंकमैंट नहीं बने हैं, वहां एम्बैंकमैंट बनें। जो बने हुए एम्बैंकमैंट हैं, उनकी मजबूती हो। आप रिलीफ कोड को बदलें और नेपाल से बात करें।

">

श्री एच.पी.सिंह (आरा): अध्यक्ष महोदय, केवरिया, बलुआ, नरकदा, पिपरपाती, सलेमपुर गांवों में कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। मैंने भोजपुर के डी.एम. से कहा था कि विगत वर्ष जिस तरह से गंगा में बास बल्ली आदि बांध कर इन गांवों को कटाव से बचाया था, उसी तरह से इस वर्ष भी इन गांवों को गंगा में विलीन होने से बचाया जाए। इस काम पर ३० से ५० लाख रुपए खर्च होंगे। मेरी अपील है कि इसकी तत्काल व्यवस्था की जाए। नहीं तो १५ दिन में ये गांव जलमग्न हो जाएंगे। उनके लिए दवा और खाने की व्यवस्था की जाए। स्कूली बच्चों को बाढ़ से बचाया जाए। उनके लिए नौका की व्यवस्था की जाए। एक-एक विधान सभा क्षेत्र के लिए १५० से २०० नौकाओं की मांग की गई है। उनकी मांग को पूरा किया जाए। दूसरी जगहों से नौकाएं मंगा कर इसकी व्यवस्था की जाए। इसकी कोई परमानैंट व्यवस्था करनी चाहिए। गंगा के दोनों तरफ का इलाका बड़े-बड़े महापुरुषों की जन्म स्थली रहा है। प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू, जगजीवन बाबू, जयप्रकाश बाबू, श्री ए.पी. शर्मा, बिन्देश्वरी दुबे जी, रामानन्द तिवारी जी का वह जन्म स्थल है। फिरंगियों ने वीर कुंवर सिंह का दाहिना हाथ काट कर गंगा में फेंक दिया था।

जिस इलाके का प्रभुनाथ सिंह जी और वीरेन्द्र जी जिक्र कर रहे थे, वह मेरे क्षेत्र ख्वासपुर में पड़ता है। इसके २२ गांव कटाव में बह गए। केवल १६ गांव बचे हैं। उसके एक तरफ गंगा है और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण बांध है। बांध के नजदीक गड्ढा हो गया है। ख्वासपुर के लोग बाढ़ के आने से न किसी ऊंची जगह पर चढ़ पाते हैं और न ही सुरक्षित इलाके में आ पाते हैं। वहां के लोगों का जीवन मछली के समान हो गया है। मेरी अपील है कि वहां तत्काल राहत कार्य की व्य वस्था की जाए। लालू जी ने पीपा पुल बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए जल्द से जल्द पैसे की व्यवस्था कर पुल बनाया जाए। इससे वहां के लोग बच जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): Mr. Speaker, Sir, you have been kind enough to give me an opportunity to express a few problems being faced in the cyclone and flood-affected areas. We have experienced the severe cyclone and tidal effects at Machilipatnam in Krishna District in 1977. It was a very bad experience where thousands of lives were lost and, as per the records, we were told that such a thing had not occurred during the last 100 years. Similarly, in 1996, Mr. Speaker, Sir, both in your constituency as well as in my constituency, thousands of lives were lost in the cyclone affected areas. It was, again, a bad experience for us.

Mr. Speaker, Sir, I will conclude in a few minutes.

It is not that I expect the Government of India to compensate a State fully for the losses it has suffered. When God cannot help, how can we expect the Government of India to compensate for the total loss? Therefore, prevention is better than cure. So, what steps are you going to take to prevent the after-effects of floods? I request the hon. Minister, through you, Sir, to kindly constitute a Committee of Members of Parliament to be assisted by the officials who are experienced in dealing with cyclone and flood-related problems.

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, you are disturbing other Members also.

SHRI K. BAPIRAJU Please constitute a Committee to coordinate with the States and try to have a big programme. I do not expect everything from you as a Minister or your Government as a whole. You start with it, let us have a good plan, understand the problem in total and this Committee could prepare some kind of a programme so that something could be done in a decade or two. Let us try to prevent these kinds of flood-related problems.

As you rightly said, Sir, there is erosion. Several kilometres of land had already been lost due to erosion. Mr. Speaker, Sir, you come from East Godavari and I come from West Godavari. At both the ends, there is erosion in different pockets. It was estimated that we would require Rs. 300 crore. But I do not expect the Government to straightaway give Rs. 300 crore. However, you have to plan over a period of 10 years and try to do something. Today, in Assam, the people are starving.

I am proud to tell you that in 1986, as a Minister in the State Government, I started the scheme of giving 10 kilograms of rice, which was never done either by the Government of India or by any State. I have initiated that and it is being implemented throughout the country today. I am proud to mention that I started it and it is being continued.

Sir, I do not want the hon. Minister to convince us by his speech and say that everything is going to be all right. It is not like that. Please plan ahead for the future. Please take us into confidence and say what permanent measures are being taken. Please tell us about your experience and what you are doing for the future because the people are suffering very badly due to these cyclone and flood-related problems.

MR. SPEAKER: Shri Radhakrishnan, you are the last speaker now.

">SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I am the last speaker among the Members present here but who has not spoken so far. The hon. Minister who has been present here all along was patient enough to hear all of us speaking. With due regards to him, I would like to say that the circumstances now available have already been explained. In the said circumstances, it is only just and proper that a Central team of officials may be sent to Kerala to assess the damages caused by the South West Monsoon in the State and get their report. Under the provisions of the Natural Calamity Relief Fund, I request you to grant a preliminary sum of Rs. 500 crore for undertaking flood relief measures. Otherwise, the people of the State will be suffering very badly because of floods.

We have already started relief camps in schools. There were landslides in the hilly region and the schools are closed and the people in the locality are housed in those schools and the Taluk Tehsildar assisted by the villagers is conducting relief camps and the position is very very serious.

So, I again request you to send the team immediately and at the first instance Rs.500 crore relief may kindly be sanctioned. This is my only request.

">

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस प्राकृतिक विभीषिका जिसको बाढ़ कहा जाता है, उससे हुई विनाशलीला के संबंध में उन्होंने अपने अनुभव और उनके अपने-अपने क्षेत्रों में जो उससे जन-धन की हानि हुई है और प्रतिवर्ष होती रहती है, उसकी वास्तविक जानकारी सदन को और सरकार को देने का कष्ट किया।

भारत सरकार के पास अभी तक उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल आदि प्रदेशों की सरकारों से प्रतिवेदन आए हैं और उन्होंने सूचित किया है कि वर्षा, बाढ़, चक्रवात और भू-स्खलन के द्वारा काफी जन-धन की हानि इन प्रदेशों में हुई है। ऐसी स्थिति अधिकतर १ जून, १९९८ के बाद, जबकि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद हुई। इस क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

इसमें ९२.२ लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है; २.३३ लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुई है; २.९५ लाख मकान या झोंपड़ियां नष्ट हुई हैं; १५१९ मनुष्यों की जान गई है और ६४,३९७ पशु काल-कवलित हुए हैं। इससे पूर्व भी जब मानसून नहीं आया था -- असम, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के व्यापक क्षेत्र अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए थे जिसमें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और समुद्री तूफान सम्मिलित थे।

जहां तक इन आपदाओं से निपटने का संबंध है, बार-बार इस सदन में कहा जा चुका है, पुनः मैं उसे कहना चाहता हूं कि मूलतः यह राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। बार-बार ये कठिनाइयां पैदा होती रहीं, प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, इन्हीं अनुभवों के आधार पर १९९५ में दसवें वित्त आयोग ने, इन राज्यों की बार-बार केन्द्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजने, उस रिपोर्ट की समीक्षा करने और उसके आधार पर केन्द्रीय दल को राज्य में क्षति का आकलन करने हेतु भेजने के संबंध में जो निर्णय में विलंब होता था, उसको दृष्टि में रखते हुए एक नयी व्यवस्था स्थापित की थी। उसमें एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाया गया जिसमें १९९५ से लेकर २००० तक के वर्ष में ६३०० करोड़ रुपये से कुछ अधिक की राशि निर्धारित की गई थी। उसमें व्यवस्था कर दी गई थी कि ७५ प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का और २५ प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होगा।

20.00 hrs.

राज्य सरकारों को बार-बार केन्द्र सरकार के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उस राशि में से वे उस आपत्ति से निपटने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी केन्द्र सरकार और वित्त आयोग ने यह व्यवस्था की और इन दोनों व्यवस्थाओं के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद, माननीय प्रधान मंत्री जी, केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा सभी मुख्य मंत्री जिसके सदस्य होते हैं। उन्होंने यह व्यवस्था स्वीकार भी की कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाया जाए। उसके लिए सात सौ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। वर्ष १९९६-९७ में उसमें १२० करोड़ रुपये की राशि और जोड़ दी गई। उसमें यह व्यवस्था थी कि यदि राज्य सरकार आपदा राहत कोष में नियत और आबंटित राशि से और दूसरी योजनाओं के तहत मिलने वाले संसाधनों से उस आपदा से होने वाली क्षति की पूर्ति करने और उससे निपटने और उसमें राहत का काम करने में सक्षम नहीं रहती है तो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से केन्द्र सरकार उसमें सहायता कर सकती है। परंतु उसके लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि जो प्रभावित राज्य है, उसकी सरकार केन्द्र सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और जैसे ही वह प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जैसे ही वह स्मरण पत्र मिलता है, केन्द्र सरकार अपना एक अध्ययन दल उस क्षति का आकलन करने के लिए भेजती है। उसमें यह बात भी निर्धारित की गई कि यदि वह बहुत असाधारण प्रकार की आपदा हो, अंग्रेजी में उसको रेयर सीवियरटी कहा गया, जब तक वह रेयर सीवियरटी नहीं होगी, तब तक इस केन्द्रीय आपदा राहत कोष से राशि नहीं दी जायेगी। केन्द्रीय अध्ययन दल को इस बात का निर्धारण करने के लिए कि वास्तव में वह असाधारण आपदा है या नहीं, उसके लिए भी कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये। उनके आधार पर केन्द्रीय दल वहां जाता है, उसका अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और जो भी उसका क्षति के संबंध में आकलन होता है, उस आकलन को फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप समिति है, जिसे नेशनल कैलामिटी रिलीफ कमेटी कहते हैं, केन्द्र के कृषि मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, केन्द्र के दो मंत्री, जिनमें वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस बार लिया गया है और पांच राज्यों के मुख्य मंत्री उसके सदस्य होते हैं। इस वर्ष के लिए जो समिति गठित हुई है उसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश इन पांच राज्यों के मुख्य मंत्री उस समिति में हैं। अध्ययन दल का वह क्षति प्रतिवेदन उस समिति के समक्ष रख दिया जाता है और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वह राहत राशि उस राज्य सरकार को दे दी जाती है। बार-बार सदस्य जब यह मांग करते हैं कि केन्द्र पैसा दे, केन्द्र पैसा दे, केन्द्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई विभाग, उपक्रम अथवा मंत्रालय हो, वह किसी निश्चित व्यवस्था के तहत चलता है। वह किसी बजट प्रावधानों के आय-व्यय अनुमानों के जो पूर्व से निर्धारित होते हैं, उनके अनुसार कार्य करता है। उसके पास मनमाने ढंग से किसी भी मद में किसी भी कार्य के लिए धन आबंटित करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। जहां तक इस वर्ष और उसके पूर्व वर्षों को संबंध है, अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि १९९५-९६ में इस राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता मांगने के लिए १९ स्मरण पत्र १७ राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किये थे। १९९६-९७ में १८ राज्यों ने २३ प्रतिवेदन भेजे। १९९७-९८ में २५ पत्र १६ राज्यों के द्वारा भेजे गये। १९९७-९८ में २० केन्द्रीय दल गठित किये गये और विभिन्न राज्यों में अध्ययन करने के लिए भेजे गये। इन्हीं तीन वर्षों में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जो राशियां अवमुक्त की गई हैं, वे इस प्रकार हैं १९९५-९६ में २२५.६९ करोड़, १९९६-९७ में २६८.०८ करोड़ और १९९७-९८ में २७३.३७ करोड़। इस प्रकार ७६७.१४ करोड़ रुपये की कुल राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी गई। जिसमें मूलतः केवल ७०० करोड़ की राशि उपलब्ध थी।

20:04 hrs (Shri P.M. Sayeed in the Chair

यह पूर्ति तब हो पाई जब १९९७-९८ में १२० करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया।

श्री सोम पाल">: सभापति महोदय, जहां तक इस वर्ष का संबंध है, १९९८-९९ में केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने सहायता के लिए स्मरण पत्र भेजे हैं जो सूखा, अतिवृष्टि और चक्रवात से होने वाली हानि के संबंध में हैं। पश्चिमी बंगाल में जो टौरनेडो आया था, सांसदों को याद होगा, उसे देखने के लिए प्रधान मंत्री जी ने मुझे भेजा था। उसे देखने के लिए हम गए थे । उस अध्ययन दल ने यह पाया कि इसे असाधारण प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा सकता क्योंकि जो मानदंड उपलब्ध हैं, उनके अनुसार इसे रेयर सीवियरिटी की संज्ञा देना कठिन पाया गया। जहां तक केरल सरकार के स्मरण पत्र का संबंध है वह अभी भी विचाराधीन है। गुजरात और सिक्किम राज्यों ने भी, इन दो राज्यों के अतिरिक्त सहायता की मांग की है। गुजरात ने ६१०.६५ करोड़ रुपए की राशि और सिक्किम ने १०३.०७ करोड़ रुपए की राशि मांगी है। गुजरात में केन्द्रीय दल २५ से २७ जून तक गया था। जो अन्तर मंत्रालय समिति बनाई जाती है जिसे अधिकारियों का इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप कहा जाता है, उसने १४ जुलाई को इसके ऊपर विचार किया। केन्द्रीय दल १३ से १६ जुलाई तक सिक्किम गया था। उनका प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है, किसी भी समय आ सकता है।

सभापति महोदय, असम और पश्चिमी बंगाल ने हाल ही में अपने मैमोरेंडम प्रस्तुत किए हैं जिनमें असम ने २८७.७५ करोड़ रुपए और पश्चिमी बंगाल ने ७८.२३ करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा कि कब वहां टीम भेजी जाए और फिर उसका आकलन होगा।

सभापति महोदय, जहां तक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का संबंध है, उसमें करीब ६३,४२७ करोड़ रुपए की कुल राशि का प्रावधान था। किस-किस राज्य का कितना हिस्सा है, यह ब्यौरा बहुत लंबा है, आप कहें, तो मैं पढ़ सकता हूं या अगर आप चाहें तो मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं। किस-किस राज्य को कितना-कितना दिया गया, वह भी इसमें है। मैं आपकी अनुमति से इस विवरण को सदन के पटल पर रखता हूं। इसमें केन्द्र का कितना हिस्सा था और राज्यों का कितना था वह सब दिया हुआ है। जहां तक आपदा राहत कोष का संबंध है उसमें जब कभी इस प्रकार की आपदा आती है और राज्य सरकार की तरफ से मांग आती है तो उसे धनराशि दी जाती है। इसके अलावा इसमें एक और कदम उठाया गया है कि अग्रिम किस्तें अवमुक्त कर दी जाती हैं- यानी एडवांस इंस्टालमेंट दे दी जाती हैं। इस मद में गुजरात को १० जून को अग्रिम राशि दे दी गई थी जिसे पहली जुलाई को दिया जाना था। इसी प्रकार से उड़ीसा को २६ मार्च को दे दी गई, जो पहली अप्रेल को जानी चाहिए, सिक्किम को २४ जून को दे दे गई जो पहली जुलाई को जानी थी और पश्चिमी बंगाल को २६ मार्च को दे दी गई जो पहली जुलाई, १९९८ को जानी चाहिए थी।

आप चिन्ता मत करिए, मैं सभी के बारे में जिक्र करूंगा। अभी आप बैठे रहिए। सभापति महोदय, अब सवाल इस बात का आता है कि जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है इससे राशियां कैसे और किसको कितनी दी जाएं, उसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बने हुए हैं। जहां तक एक्सग्रेशिया रिलीफ का संबंध है उसमें जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है उसके आश्रितों को २०,०००/- रुपए सहायता राशि दी जाती है, जिसका कोई अंग चला जाता है, उसको १०,०००/- रुपए की राशि दी जाती है और जो उनके आश्रित रह जाते हैं, उनको प्रति दिन रु.५/- प्रति वयस्क और रु.३/- प्रति शिशु को दैनिक आधार पर राहत दी जाती है। जहां तक वस्त्र और बर्तनों का सवाल है उनके लिए ढाई-ढाई सौ रुपए, इस प्रकार से रु. ५००/-की राशि दी जाती है।

२५०-२५० रुपये के हिसाब से ५०० रुपये की राशि दी जाती है। उनको पोषक आहार के लिए १ रुपये ५ पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। छोटे और सीमांत कृषकों को उनके खेत में से मिट्टी निकालने के लिए २५ प्रतिशत से सवा ३३ प्रतिशत की लागत प्रतिदिन की होती है। ५०० रुपये प्रति हैक्टेयर उनको निवेश का खर्चा करने के लिए, जो आगामी फसल है, उसमें उनका जो खर्चा होगा, उसके लिए दिया जायेगा। यदि उनकी भूमि बाढ़ में समाप्त हो गई है या कट गई है तो ५ हजार रुपये प्रति परिवार दिया जाता है। इसके अलावा जो रोजगार योजनायें हैं, उनके तहत उनको कुछ राशि दी जाती है। पशुओं के मरने या क्षतिग्रस्त होने पर कुछ पैसा दिया जाता है। उनके चारे के लिए ८ रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। इस प्रकार मछुआरों के परिवार को कुछ दिया जाता है।

... (व्यवधान)

यह सब जाता है तो सब दिया जाता है।

... (व्यवधान)

चैक तो राज्य सरकार लगाती है।

... (व्यवधान)

चैक की बात भी मैं बताऊंगा। इस प्रकार यह बहुत सारी चीजें हैं। यह सारा विवरण मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं कि मूलतः यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। १९८९-९० तक पहले मार्जिन मनी देने की व्यवस्था थी जिसको बदलकर १०वें वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे नवीनतम व्यवस्था में परिवर्तित किया। जो अभी तक विद्यमान है और चालू है। अब मैं राज्यवार ब्यौरा देना चाहूंगा। जहां तक अरूणाचल प्रदेश का सवाल है, तो वहां इस वर्ष वर्षा और भूस्खलन के कारण कुछ क्षति हुई। ज्यादातर २३ और २४ मई १९९८ को भूस्खलन हुआ व ९ जुलाई १९९८ को बाढ़ आई। जहां तक क्षति का ब्यौरा है तो लोहित दरांग, वेस्ट सियांग और ईस्ट सियांग, इन जनपदों में ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें ५२ ग्राम प्रभावित हुए और १९ लोग भूस्खलन में मारे गये। २६ हजार लोग इसमें प्रभावित हुए और ३३० मकान क्षतिग्रस्त हुए। १६ पशुओं की जान गई। जहां तक केलेमिटी रिलीफ का सवाल है तो अरूणाचल प्रदेश को ७.८१ करोड़ रुपये दिये गये जिसमें से ५.८४ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के थे और १.९५ करोड़ रुपये राज्य सरकार के थे।

... (व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): क्या आप बाकी राज्यों का भी ब्यौरा देंगे?

श्री सोमपालः मैं सभी का दूंगा। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कोई भी मेमोरेंडम केन्द्र सरकार को नहीं दिया गया इसलिए राष्ट्रीय आपदा कोष से कोई राशि दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसी तरह आसाम में भारी वर्षा बाढ़ और भूस्खलन से नुकसान हुआ। जहां तक भूस्खलन की बात है तो वह घटनायें ३ जून को हुई और बाढ़ १० जून और उसके बाद आई। मुझे अभी तक जो रिपोर्ट मिली है, उसमें २० जिले प्रभावित हुए हैं जिसमें भीमा जी, नार्थ लखीमपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिबसागर, गोलाघाट, नौगांव, मोरीगांव, नलबाड़ी, सोनितपुर, दरांग, बरपेटा, कामरुप, कछार, करीमगंज, बोगांईगांव, नार्थ कछार हिल्स, धुबरी, गवालपाड़ा हैं। इसमें ३४४३ गांव प्रभावित हुए हैं। ७७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ७५.२७ लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुए जिसमें फसल क्षेत्र १.५१ लाख हैक्टेयर है। कुल जनसंख्या २५.४६ साख प्रभावित हुए। ३४६६ मकान गिरे। वहां के सरकार ने १३५ शिविर इस आपदा से निपटने के लिए खोले। जहां तक आपदा राहत कोष का सवाल है तो उसमें से ५५.४७ करोड़ रुपये की राशि आसाम को १९९८-९९ के लिए आबंटित की गयी जिसमें ४१.६ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का भाग है और १३.८७ करोड़ रुपये राज्य का भाग है। सैंट्रल शेयर २०.८ करोड़ रुपये का दो तिमाही किश्तों में पहले से दिया जा चुका है।

जहां तक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता का सवाल है, १५ जुलाई को असम सरकार की ओर से यहां स्मरण पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने २८७.७५ करोड़ रुपये की मांग की है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह विचाराधीन है।

... (व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता :आपने जो राहत की बात की है, जो रिलीफ कैम्प खोला है, हम उससे सहमत नहीं हैं। रिलीफ कैम्प सिर्फ एक दिन के लिए खोला गया था। यह तो सिर्फ नम्बर है।

श्री सोमपालः इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जो भी रिपोर्ट आती है, वह राज्य सरकार की है और हमें उसी के ऊपर निर्भर करना होता है।

... (व्यवधान)

SHRI BHUBANESWAR KALITA ;We do not agree with that.

MR. CHAIRMAN You may not agree, but the Government has to agree.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): I requested you regarding constitution of a committee to study the overall situation.

SHRI SOMPAL: I will respond to you. I will respond to the queries of all the hon. Members.

MR. CHAIRMAN: If there is any such clarification to be sought, after the reply is over, it can be done. In between it will be very difficult.

श्री सोमपालः सभापति महोदय, बिहार में केवल बाढ़ से जो क्षति हुई है, ९ जुलाई के बाद से ये सूचनाएं आनी शुरु हुईं, उसमें १५ जनपद मुज़फ्फरपुर, शोहर, सीतामढ़ी, पूर्व चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, सुपोल, बांका, मधेपुरा और भागलपुर प्रभावित हुए हैं।

... (व्यवधान)

हमारे बस की बात नहीं है, यह राज्य सरकार से रिपोर्ट आती है।

... (व्यवधान)

कभी-कभी ऐसा हो जाता है।

... (व्यवधान)

श्री एच.पी.सिंह (आरा): वहां पर चारों - दो भाजपा के और दो समता के

... (व्यवधान)

सभापति महोदय हरपाल सिंह जी, पूरा रिप्लाई होने के बाद यदि आपको कोई क्लारीफिकेशन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बीच में बोलेंगे तो अधूरा रहेगा।

... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): सभापति जी, इन्होंने जो जानकारी दी है, उसकी रिपोर्ट तो मंगा सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति जी, इनकी कचहरी का कलैक्टर डूब गया। क्लैक्टर बह गया था तो मछली वाले जाल से उसे छानना पड़ा।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय का रिप्लाई पूरा होने के बाद यदि कोई क्लैरीफिकेशन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बीच में बोलेंगे तो मुश्किल होगा।

... (व्यवधान)

श्री सोमपालः उसमें ४४ विकास खंड प्रभावित हुए हैं, २७० पंचायत क्षेत्र और ६१७ गांव, तीन व्यक्ति बाढ़ में मारे गए हैं, करीब २५,००० हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है जिसमें से ४,००० हैक्टेयर कृषि भूमि जो फसल के अंतर्गत थी, वह प्रभावित हुई है। उसमें फसल का जो नुकसान हुआ है, अभी तक राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसका मूल्य तीन लाख रुपये है, नौ लाख जनसंख्या

... (व्यवधान)

श्री एच.पी.सिंह नौ लाख जनसंख्या और तीन लाख रुपये, आप अपने आप हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे होगा।

... (व्यवधान)

श्री सोमपालः आप बार-बार क्यों हस्तक्षेप करते हैं। यह राज्य सरकार का काम है, इसे एक बार समझ लीजिए या पचास बार समझ लीजिए, वही उत्तर दिया जाएगा। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां पर जो भी आंकड़े बताए जाते हैं, राज्य सरकार से जो रिपोर्ट आती है, वे उसी के आधार पर हैं। आपके क्षेत्र में यदि कोई ऐसी बात है तो मंत्री जी को लिखकर दे सकते हैं।

श्री सोमपालः १००८ घर नष्ट हुए हैं और पांच लाख रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। बिहार सरकार ने ३९ शिविर खोले हैं और ११५८ नावें सीतामढ़ी, सारण, गोपालगंज, मधेपुरा और पश्चिमी चम्पारन जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगाई हैं, २९ स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और पशु चिकित्सा के लिए ३५ केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

श्री सोमपाल जारी ५५.७३ क्विंटल खाद्य का वितरण किया गया। सिहोर और गोपालगंज जनपदों में जहां तक

... (व्यवधान)

श्री एच.पी.सिंह वह हमारे यहां पानी की मेन जगह है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : हर पाल सिंह जी, जो भी आप उठ खड़े होकर कुछ बोलेंगे, अगर मिनिस्टर साहब बैठेंगे तो इसको ईल्ड बोलते हैं और ऐसा होगा तो आपको पूछने का अवसर मिल जाता है। जब मिनिस्टर ईल्ड नहीं करते हैं तो मैं आपको मौका नहीं दे सकता, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पूरा जवाब सुनने के बाद अगर कुछ पूछना है तो फिर पूछिये।

श्री सोमपाल : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे कल १० प्रश्नों का उत्तर देना है, मैं फिर भी तसल्ली से उत्तर दे रहा हूं। इसका उत्तर फिर भी यही रहेगा कि राज्य सरकार देगी, आप कितनी ही बार कह लीजिए, उससे उसकी गुणवत्ता पर कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप पूरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वश्चन करना हो तो पूछेंगे।

... (व्यवधान)

श्री सोमपाल : जहां तक राहत कोष का प्रश्न है, बिहार को ५७.६३ करोड़ रुपये की राशि, जिसमें ४३.२२ करोड़ रुपये केन्द्र का अंशदान है, वह दे दिया गया है और जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, उसमें बिहार सरकार की ओर से कोई भी चिट्ठी अभी तक केन्द्र को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उस पर विचार करने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है।

इसी तरह गुजरात के सम्बन्ध में पूरा विवरण है, आप कहें तो मैं सभापटल पर रख देता हूं।

सभापति महोदय : आप सभापटल पर रख दीजिए।

श्री सोमपाल : आप केरल के विषय में सुनना चाहेंगे?

... (व्यवधान)

मैं वह टेबिल पर रख देता हूं। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

... (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि और भूस्खलन के कारण क्षति हुई है। दो प्रकार की घटनाओं की सूचना है। भारी वर्षा और भूस्खलन की इन घटनाओं की सूचना १५ जुलाई से लेकर अब तक की हैं। प्रभावित जनपदों की कुल संख्या १६ है, इसमें गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, टिहरी-गढ़वाल, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बागेश्वर, खीरी, देवरिया, बलिया, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, पिथौरागढ़ और फैजाबाद। १६१० गांव प्रभावित हुए हैं, ५७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। १.४८ हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें से फसल ६७ हजार हैक्टेयर की है। ९.९७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है, २२१ मकान गिरे हैं और २५७ पशुओं का जानें गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने १५४ चौकसी की चौकियां स्थापित की हैं, ३५ राहत शिविर स्थापित किये हैं, ५४५ नावें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगाई हैं और १६,७०० व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर बाढ़ क्षेत्र से हटाकर पहुंचाया गया है, ९०० पशुओं को भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हटाया गया है। ११०.७६ करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से १९९८-९९ में दी गई है, जिसमें १०४.०७ करोड़ केन्द्र सरकार का इसमें अंशदान है, जो इस साल का है। उसमें से दो किश्तें ५२.०४ करोड़ की उनको अवमुक्त कर दी गई हैं। उनकी तरप से अभी कोई स्मरण पत्र नहीं आया है।

... (व्यवधान)

वह दूसरे उसमें जायेगा, पर आवश्यकता पड़ती है तो अग्रिम राशि दे दी जाती है। कोई स्मरण पत्र उनकी तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनके सम्बन्ध में भी जानकारी है।

... (व्यवधान)

जी नहीं।

Some hon. Members from Kerala have raised the matter concerning the creation of Coastal Protection Zones. This scheme is yet to be prepared. Out of the nine maritime States and one Union Territory, only three States, namely, Kerala, Karnataka and Gujarat have got their schemes cleared; Maharashtra and Pondicherry have not even submitted their schemes; Tamil Nadu, West Bengal, Orissa, Goa and Andhra Pradesh had to amend their schemes as per the suggestions made by the Central Water Commission and they are still awaited.

They have not submitted them. As soon as these schemes are received, a proper appraisal would be conducted and then the schemes would be finalised. There was one suggestion regarding the Ganga Flood Control Commission. Two or three hon. Members had given this suggestion.

यह संगठन १९७२ में स्थापित किया गया था। उसने २३ मास्टर प्लान बाढ़ से दीर्घकालीन रूप से निपटने के लिए बनाए थे। गंगा के बेसिन में जितने भी राज्य हैं, उनके पास उसे स्वीकार करने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए भेजा दिया गया है। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के पास इन योजनाओं को लागू करने के आदेश नहीं हैं। यह राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारें जब भी उनको स्वीकार करके सरकार को कहेंगी, उसके लिए उनको धन का आबंटन कर दिया जाएगा। जहां तक बाढ़ की पूर्व सूचना के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने कहा तो लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए सरकार ने १५७ संगठन स्थापित किए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ताजेवाला के पास है, पंजाब में भाखड़ा नांगल के पास है। जब पानी ऊपर के क्षेत्रों से कैचमेंट एरिया से आता है, उसकी सूचना आगे भेज दी जाती है और राज्य सरकारों को यह भी कहा जाता है कि लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहले से पहुंचा दें। जो सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, उन लोगों को वहां से हटा दिया जाए।

एक योजना, जो मोहन सिंह जी ने भी कही, फ्लड प्लान जोनिंग की बनाई गई है। जो बाढ़ से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्र हैं, उनको चिन्हित करके राज्य सरकारों से कहा गया था कि वहां लोगों की बस्तियां बनाने के लिए चाहे ग्रामीण बस्ती हो, चाहे शहरी बस्ती हो या औद्योगिक बस्ती हो, कानूनन रूप से उस पर प्रतिबंध लगाएं और अपने-अपने राज्यों में फ्लड प्लान जोनिंग कानून बनाकर उसे लागू करें। परंतु किसी भी राज्य सरकार की तरफ से इसकी क्रियान्विति की बात अभी तक नहीं आई है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के सम्बन्ध में जो बाढ़ से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना की बात थी, वह आठवीं पंचवर्षीय योजना से लागू है। बिहार सरकार को इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिए गए थे। आज तक भी उसका उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र बिहार सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया इसलिए आगे राशि देना सम्भव नहीं है। यही योजना गंगा के बेसिन के दूसरे राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं, उनको भी सुलभ कराए जाने का प्रस्ताव है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को भी इस योजना के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है।

जहां तक भारत-नेपाल के बीच साझी नदियों के नियंत्रण का प्रश्न है, जिसके बारे में मोहन सिंह जी ने और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सभी साथियों ने एक स्वर में इसकी आवश्यकता के बारे में बताया, उनके साथ चर्चा करके यह बात करने के लिए भारत सरकार से कहा है। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि नेपाल के साथ पंडेश्वर योजना और महाकाली की संधि हुई थी। उसके तहत एक विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाने की बात की गई है। कर्नाली परियोजना के सम्बन्ध में भी विचार हुआ है और जहां तक उसमें कितनी प्रगति हुई, यह मैं नहीं कह सकता, पर यह चर्चा चल रही है, उसमें दो देशों का सम्बन्ध है। नेपाल सरकार कितनी दूरी तक हमसे सहमत होगी और कब यह योजना बनेगी, इसका निश्चित समय बताने की स्थिति मैं नहीं हूं। जहां तक यह बात कही गई है कि नेपाल में स्थित कुछ ऐसे जलाशय हैं, जिनसे अधिक मात्रा में जल छोड़ने की बात आई है, यह बात सही नहीं है, नेपाल में ऐसा कोई जलाशय नहीं है जहां से ऐसा पानी छोड़ा जा सके।

सोमपाल जारी असम के संबंध में एक सूचना देना चाहता हूं। उनको बीस करोड़ रुपए की राशि लोन के रूप में दी गई थी।

They want it to be converted as `onetime grant'. This matter is pending with the Planning Commission and as soon as they take a view, we would inform the Assam Government.

ब्रह्मपुर बोर्ड के द्वारा जो योजना बनाई गई है, जिसमें पगलदिया योजना कीबात है, उसको नौवीं पंचवर्षीय योजना में पब्लिक इन्वैस्टमेंट बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। यदि उनकी स्वीकृति मिली, तो उसकी क्रियान्विति के लिए कदम उठाए जायेंगे। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो ५०० करोड़ रुपए की राशि की बात कही थी, उसके वितरण के लिए सारे कार्यक्रम बना लिए गए हैं। यह योजना १९९७ में योजना आयोग के पास आई थी, उनसे जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, यह राशि आ वंटित कर दी जाएगी। चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाले पानी को डाइवर्ट करने की बात से भारत सरकार अवगत है। यह बात वहां के समाचार पत्रों में निकली है और उसी के आधार पर भारत सरकार को जानकारी है। चीन से इसके संबंध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। यह योजना २५-३० वर्षों की है। योजना बहुत अधिक व्ययसाध्य है, इसलिए इसको करना इतना आसान नहीं है। इस संबंध में मैं इतनी ही सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार इससे अ वगत है और इसकी जानकारी भारत सरकार को है।

मोहन सिंह जी ने चर्चा को प्रारम्भ करते हुए, उन्होंने समयबद्ध, समग्र, समेकित राष्ट्रीय बाढ़ मुक्ति योजना की बात कही है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक अन्य प्रकार की सहायता की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। जहां तक इससे ज्यादा राशि मुक्त करने की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी प्रक्रिया, मानदंड और जो मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित हैं, यह उसी रूप में दिया जा सकता है और उसमें बराबर दिया जा रहा है। उत्तर-दक्षिण नदियों के लिए आपने दो योजनाओं की बात कही है। इस बारे में मैं पहले ही प्रश्नकाल में एक-दो बार कह चुका हूं कि उत्तर भारत की १४ नदियां, जिनमें गंगा-यमुना नदिया भी हैं, और दक्षिण की १७ नदियों की एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल स्थानान्तरण की योजना बनाई गई है। उसका प्राथमिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार है, लेकिन इस संबंध में विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। कुछ लोगों ने तो प्राकृतिक प्रवाह को हटाकर दूसरी जगह ले जाने की बात कही है। इससे बहुत सारी समस्यायें, जैसे जो सड़कें बनीं है, रेल लाइनें बनी हैं, नहरें बनीं हैं, पैदा होगी और इन्हीं के कारण बहुत सारे क्षेत्र जलमग्न हुए हैं। इतनी बड़ी जलराशि को जिसमें कभी भी प्राकृतिक दृष्टि से वर्षा कितने बड़े क्षेत्र में है और किन-किन नदियों से बाढ़ और कैसे नियन्त्रण किया जाए, यह व्यवहार्य है या नहीं, इस संबंध में विचार-विमर्श चल रहा है। इसकी टैक्नीकल और प्राइमारी फिजीबिलिटी रिपोर्ट, दोनों बन चुकी हैं और इस संबध में निर्णय लेने में समय लगेगा। इसके ऊपर जो व्यय होना है, वह फिलहाल किसी भी साधन से बस की बात नहीं है।

आपने जलकुंडी योजना की बात भी कही है। यह महत्वपूर्ण बात है। जलकुंडी योजना के तहत, नदियों के प्रवाह के आसपास के क्षेत्रों में जलाशय का निर्माण करके लाभ उठाया जा सकता है। उसमें बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है। मत्स्य पालन किया जा सकता है। वर्षा के इतर के जो महीने हैं, उन महीनों में उसको भूमिगत जलस्रोतों का भरण किया जा सकता है। इस बारे में सरकार की वाटरशैड मैनेडमेंट स्कीम है। इसमें इसका समावेश है और इसको लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो २५ वर्ष की योजना है, यह उसी योजना का एक कम्पोनेंट है।

टेहरी परियोजना के संबंध में सरकार की नीति अदलती-बदलती रही है। आपको इस बारे में सारा इतिहास मालूम है। इस बारे में अद्यतन जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि एक परियोजना बनाई गई थी और इस संबंध में निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था, जिससे अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो।

चर्चा में श्री राम नगीना मिश्र, श्री पवन सिंह घाटोवार, श्री राम नारायण पासी, श्री सब्रत मुखर्जी, श्री इन्द्रजीत मिश्र (खलीलाबाद), श्री शैलेन्द्र कुमार(चैल), प्रो. ठ ोमसिंह चन्दू माजरा, श्री मोतीलाल वोहरा, श्री हरिकेवल प्रसाद सिंह - हमारे पूर्व अध्यक्ष जनता दल, श्री रामपाल सिंह, श्री वी.वी. राघवन केरल से, श्री बच्ची सिंह - जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में एक विशेष बात कही कि उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं माना जाता। मेरी समझ में इस बारे में नियम में परिवर्तन करने की आ वश्यकता है।

माननीय राजो सिंह जी, बेगुसराय, वीरेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने सिंचाई व्यवस्था के बारे में ज्यादा बात कही है, बाढ़ के विषय में कम बात कही है, परन्तु उनके सुझाव उपयोगी अवश्य हैं। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, केरल, श्री रामदास आठवले, जोकि चले गए हैं, उनका कहना था कि हम परम्परागत उत्तर सुनना नहीं चाहते।

MR. CHAIRMAN What about the points raised by Shri Radhakrishnan?

SHRI SOMPAL: I am coming to them. He would have a detailed answer.

उन्होंने कहा कि हम परम्परागत उत्तर सुनना नहीं चाहते, परन्तु बाढ़ भी परम्परागत रूप से आती है और सरकार की भी परम्परागत विरासत हमको मिली है तथा जो भाषण और चिन्तन है वह भी परम्परागत है, इसलिए उत्तर भी स्वाभाविक रूप से परम्परागत ही होगा। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने बुंदेलखंड के बारे में बहुत महत वपूर्ण बात कही, जो राष्ट्रीय पनधारा योजना है उसमें हमने बुंदेलखंड को विशेष रूप से चिन्हित किया है, क्योंकि यह कम वर्षा का और किसी भी बड़े जल स्रोत

से अभाव वाला क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसमें जल संभरण और वर्षा जल ग्रहण तकनीक के माध्यम से न केवल बाढ़ को रोका जा सकता है बल्कि वहां की सिंचाई और पेयजल की समस्या का भी स्थायी निदान पाया जा सकता है। आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह उस राष्ट्रीय योजना के अंदर पहले से समाविष्ट हैं। श्री बैसीमुथियारी, श्री प्रभुनाथ सिंह ने प्रातः स्मरणीय लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्मभूमि के संबंध में कहा है। उसके संबंध में आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक पत्र मुझे विस्तार से लिखें तो मैं उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को और बिहार सरकार को भी अपनी ओर से संस्तुति करके भेज दूंगा। ... (व्यवधान) जहां आपका आदेश होगा, जहां आप कहेंगे वहां भेज देंगे, आप केन्द्र में कहेंगे तो वहां भी भेज देंगे। श्री ओमप्रकाश सिंह ने गाजीपुर में भ्रष्टाचार की बात कही। बाढ़ में पानी की बात तो आती है, भ्रष्टाचार की भी बाढ़ आती है, यह बड़ा दुखद अध्याय है, क्योंकि उस समय नागरिकों की विवशता होती है, कितनी क्रूरता से उनका शोषण करते हैं, परन्तु इस संबंध में सारा दायित्व राज्य सरकार का है। श्री अनूप लाल यादव ने रेत निकालने की बात कही। ड्रेजिंग का काम दूसरे देशों में किया गया था परन्तु किन्हीं कारणों से बाद में बंद कर दिया गया। उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आकलन करना, इस बारे में पर्यावरणविदों की कई राय हैं इसलिए अभी निश्चित मत पर नहीं पहुंचा जा सकता।

श्री भुवनेश्वर कालिता, असम, इन्होंने ब्रहमपुत्र सेंट्रल बोर्ड की बात कही, मैं उसका उत्तर दे चुका हूं। श्री पारसनाथ यादव, श्री शकुनी चौधरी, इनकी गंभीरता तो शायद इनको बाहर ले गई। यह हमें कहते थे कि हम नॉन सीरियस हैं। डा. शकील अहमद ने रिलीफ कोड में परिवर्तन की बात कही। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जिस प्रकार के मानदंड किए हैं उनसे क्या होता है, रोज एक रुपया, तीन रुपया, पांच रुपया या पांच सौ रुपया प्रति हैक्मेयर, पर वह संसाधन का प्रश्न है और आपकी यह बात सही है कि उसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री हरिद्वार प्रसाद सिंह और बाद में पूर्व अध्यक्ष, केरल विधानसभा के

Shri Radhakrishnan has asked for a Central team. It is despatched only in respect of a memorandum submitted by the State Government. As soon as it is received and prima facie, if we find that it is a severe calamity, then we do despatch a team.

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अंत में मैं स्थायी समाधान के विषय में कहना चाहता हूं। इसमें किसी के दो मत नहीं हैं कि स्थायी समाधान होना चाहिए। केन्द्रीय जल आयोग और जो जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न विभाग हैं वे इस संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। उनके बारे में कोई समेकित योजना बननी चाहिए, केन्द्र सरकार इस संबंध में पहले से संवेदनशील है और इस प्रकार की योजना निश्चित रूप से बनाई जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का तथा आपका भी धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने किसी भी बिंदू का कोई सुसंगत उत्तर नहीं दिया है। इनके उत्तर से लगता है कि सरकार बाढ़ के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए इनके उत्तर के विरोध में हम और हमारे साथी सदन से वाक-आउट करते हैं।

... (व्यवधान)

20.41 hrs.

(At this stage, Shri Mohan Singh and some other Members left the House)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, बाढ़ से लोगों के बचाने में यह सरकार असफल रही है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

20.42hrs.

(At this stage, Shri Raghuvansh Prasad Singh and some other Members left the House)

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति जी, बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस सरकार ने इतने हल्केपन से लिया है, इसलिए हम कांग्रेस की ओर से सदन का बहिष्कार करते हैं।

20.42 hrs.

(At this stage, Dr. Shakeel Ahmed and some other Members left the House)

SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Sir, I would like to know from the hon. Minister about the anti-sea erosion. Would the Minister consider the schemes which have already been submitted by the State Government regarding anti-sea erosion works? Why should he wait for the schemes from other States? That is why the delay is occurring now.

SHRI SOMPAL: I will find it out and respond to you.

श्री एच.पी.सिंह : सभापति जी, मेरी अपील है कि जैसे हॉस्पिटल में इमरजैंसी होती है उसी तरह से इस विषय पर इमरजैंसी मानकर हमारे क्षेत्र भोजपुर में जो बाढ़ से लोग तबाह हो गये हैं, ३० लाख से ५० लाख रुपया अभी डी.एम. के माध्यम से, कलैक्टर के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से या डायरैक्ट भेजकर उन बाढ़-पीड़ितों की सहायता की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो १५ दिन के अंदर वहां के सब गांव गंगा के अंदर डूब जाएंगे।

MR. CHAIRMAN Mr. Minister, do you want to say anything about his clarification?

SHRI SOMPAL: Sir, time and again, I have informed him that this is the responsibility of the State Government. They are already having funds from the Calamity Relief Fund. From that only, they can give it.

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): सभापति जी, जम्मू-कश्मीर में रावी और ऊज नदियां बहुत बड़ी तबाही कर रही हैं। वहां प्रग्वाल का एरिया है जिसकी आबादी २० हजार से ज्यादा है। उसके तीन तरफ चिनाब दरिया और चौथी तरफ पाकिस्तान है। उस पूरे क्षेत्र का इरोजन हो रहा है। उसी तरह रावी और ऊज का क्षेत्र है। पूरा कठुआ जिला, हीरानगर के २० गांव पूरी तरह पानी में हैं। मुझे राज्य सरकार की रिपोर्ट के बारे में नहीं पता, जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा कहना यह है कि कम से कम आप रिपोर्ट तो मंगवा लें और तुरंत उन क्षेत्रों को सहायता दें। वहां पर अगर बांध नहीं बांधे गये तो वह पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो जाएगा।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आपका पाइंट हो गया।

Mr. Minister, do you want to say anything?

श्री सोमपाल : मैं तो दुबारा भी वही कहूंगा कि जब तक राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं भेजेगी, केन्द्र सरकार कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थ है।

श्री चमन लाल गुप्त : क्या राज्य सरकार इतनी कैलस हो जाएगी।

श्री सोमपाल : आपकी चुनी हुई सरकार है, हम उससे कैसे कहें?

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): Mr. Chairman, Sir, I expected the hon. Minister to give an answer but somehow he has failed to explain it to me. I said that neither he nor his Government alone were going to give a permanent solution. I wanted him to initiate something in a concrete manner. I asked him to constitute a Committee of Members as well as experts in cyclone or experts in this entire thing, in coordination with the States, to understand the problems of the entire country. Is it difficult for him to constitute such a Committee to study the problem in future for the whole country? I expected a simple answer from him.

SHRI SOMPAL: Sir, I do not know which scheme the hon. Member is speaking about.

SHRI K. BAPIRAJU : About the overall floods.

SHRI SOM PAL: The Government is a specialised Committee only. What the Government will do ... (Interruptions) We can take up the thing, but why do we need a separate Committee?

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, what he wants to say is that every year we have floods in our country and there is an ad hoc management of floods. Why do we not have a long term policy for managing floods? Earlier, there was some proposals regarding this that the devastating effects of the floods could be reduced if some of the rivers could be interconnected. Likewise, if there could be some long term planning so that the adverse impact of the floods could be reduced. That is what the hon. Member is asking.

SHRI SOM PAL: Sir, I have already informed the hon. House that there are two schemes for interconnecting the rivers and transferring water from one basin to another basin. One scheme is with 14 rivers of Northern India and 17 rivers of the Southern peninsula. A techno-economic feasibility study, on a preliminary basis has already been conducted. But a final view has not been taken because the amount of resources which is required for implementing this project plus the long term environmental and morphological effects and impacts which they

are likely to have are being studied. These cannot be taken so abruptly. So, having regard to these things, the schemes are with the Government of India and a final view would emerge only after consultation.

SHRI K. BAPIRAJU : But the constitution of a Committee would help matters.

SHRI SOM PAL; It is a process which is already going on.

SHRI K. BAPIRAJU It is not like that ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN If I have understood the Minister correctly, he has said that the Committee itself is an expert Committee and that study is going on. The hon. Minister has already narrated all these things in detail in his reply.

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) :मान्यवर, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं ... (व्यवधान)

SHRI SOM PAL: Sir, tomorrow I have to answer ten questions in the Rajya Sabha. We agreed to finish this. I do not think he is going to make any worthy suggestion ... (Interruptions)

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको सब कुछ पता है।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : कुशीनगर में बाढ़ आने से ५१ किलोमीटर लम्बा बांध टूट जाता है। वह बांध १० किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ४१ किलोमीटर बिहार में पड़ता है। बिहार सरकार वह बांध टूटने पर उसकी मरम्मत नहीं करवा सकती है। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस बांध की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सारे फंडस दिए जा सकें? इस बांध की मरम्मत के लिए बिहार सरकार को जो फंड मिलते हैं, वे उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर कर दिए जाएं।

सभापति महोदय : ये डिटेल्स मंत्री जी के पास नहीं हैं।

How can he answer that?

श्री सोमपाल : मैंने यह बिन्दु पहले भी अंकित किया था। माननीय सदस्य बहुत दिनों से सांसद हैं और राज्य सरकार में भी रहे हैं। मैं इस बारे में वही उत्तर दूंगा कि यह केन्द्र सरकार के अधिकार में नहीं है। इसलिए हम इसे नहीं कर सकते। ... (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र यह उत्तर प्रदेश और बिहार का मामला है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस बारे में मंत्री जी को पत्र लिख देना।

.. (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, the House stands adjourned to meet tomorrow, the 23rd July, 1998 at 11 A.M.

20.48 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Thursday, July 23, 1998/Shravana 1, 1920 (Saka)

श्री राम नगीना मिश्र ">:सभापति महोदय, रिंग बांध के अंदर हमारे गांव पड़ते हैं, जहां से बिहार के लोग हंड पंप और पाइप्स उठाकर ले गये हैं। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है और दूसरे ५० करोड़ रुपये गन्ने का दाम बकाया है, जिसमें से २० करोड़ रुपया कठकुइयां,

पडरौना तथा १६ करोड़ रुपया कप्तानगंज व २२ करोड़ रुपया सरदार नगर का है।